श्रम संगम

वर्ष: I, अंक: 2

जुलाई - दिसम्बर 2015

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रम कानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रंबधकों ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक सस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थो, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानूनों के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.org पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली/नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सेक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publicationsvvgnli@gmail.com

मुख्य संरक्षक
श्री मनीष कुमार गुप्ता
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. पूनम एस. चौहान
वरिष्ठ फेलो

डॉ. संजय उपाध्याय
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रणः चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्षः 1, अंकः 2, जुलाई-दिसम्बर 2015

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से...	2
❍	व्यक्ति और समाज के लिए जीवन मूल्यों का महत्व – डॉ. संजय उपाध्याय	3
❍	नवयौवना (कविता) – डॉ. पूनम एस. चौहान	8
❍	ओ वासंती पवन हमारे घर आना (कविता) – डॉ. कुँअर बेचैन	8
❍	जलवायु परिवर्तन और भारत – बीरेन्द्र सिंह रावत	9
❍	अस्तित्व (कविता) – डॉ. एलीना सामंतराय जेना	12
❍	भारत में आरक्षणः एक अवलोकन – राजेश कुमार कर्ण	13
❍	छिपछिप अश्रु बहाने वालो (कविता) – पद्म भूषण गोपालदास ''नीरज''	17
❍	लाल बहादुर शास्त्री – बीरेन्द्र सिंह रावत	18
❍	संस्थान द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2015 का आयोजन	20
❍	भारत की अदृश्य महिला कामगार – डॉ. एलीना सामंतराय जेना	21
❍	इंतहा (कविता) – मोनिका गुप्ता	22
❍	राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में हिंदी का योगदान – राजेश कुमार कर्ण	23
❍	शोषण मुक्त माहौल (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	26
❍	नारी से भली खूँटे से बंधी गाय – डॉ. पूनम एस. चौहान	27
❍	संस्थान द्वारा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन	29
❍	जीने की राह – बीरेन्द्र सिंह रावत	30
❍	मैं हिंदी हूँ (कविता) – दिनेश प्रसाद ध्यानी	32

महानिदेशक की कलम से...

यह हर्ष का विषय है कि वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपनी गृह पत्रिका ^Je lxe^ का यह द्वितीय अंक यथासमय आपको समर्पित किया जा रहा है। हिंदी, संघ की राजभाषा के साथ–साथ राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोए रखने वाली भाषा है। भारत जैसे विविधता वाले देश, जहां के लिए कहा जाता है कि 'कोस–कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी', में संतों, चिंतकों, समाज सुधारकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की वाणी से अलंकृत राजभाषा हिंदी एक संपर्क सेतु का कार्य बखूबी करती है, और यह सब हिंदी भाषा के सरल, सहज एवं सुबोध होने के कारण ही संभव हो पाया है। पत्रिका में शामिल सभी लेखों में भी भाषा की सरलता एवं सहजता को ध्यान में रखा गया है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा संबंधी नियमों/अधिनियमों का अनुपालन करना एवं कराना हमारा नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान हिंदी के प्रचार–प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में 21 दिसम्बर 2015 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

^Je lxe^ पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है।

राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में यह पत्रिका सदैव सफल रहे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

¼euh"k dqekj xqIrk½

व्यक्ति और समाज के लिए जीवन मूल्यों का महत्व

डॉ. संजय उपाध्याय*

वर्तमान दौर की संभवतः सबसे बड़ी समस्या जीवन मूल्यों में तेजी से आई गिरावट है। आज का मानव (जन–सामान्य) दिनों दिन बड़ी तेजी से पूर्णतः आत्मकेन्द्रित होता जा रहा है। न केवल वह अपने स्वर्णिम अतीत से पूरी तरह से कट गया है बल्कि उसे आने वाले कल की भी कोई परवाह और चिंता नहीं है। वह तो यह मान बैठा है कि जीवन का एकमात्र मकसद सुख और केवल सुख प्राप्त करना है चाहे यह सुख किसी भी तरह और किसी भी कीमत पर मिलता हो। वह, यह पूरी तरह भूल बैठा है कि असली सुख वह नहीं है जिसे वो सुख समझता है, बल्कि असली सुख तो सब की खुशहाली और सब की खुशी के साथ–साथ मिलने वाला सुख है। आज का मानव जो भी भूल या गलती कर रहा है उसके लिए वह खुद तो जिम्मेदार है ही, साथ ही जिम्मेदार हैं आज के परिवार, आज का सामाजिक परिवेश, आज की शिक्षा पद्धति और आज के वे जीवन मूल्य, जो बचपन से आज का समाज अपनी पीढ़ियों को दे रहा है। अतः जीवन मूल्यों में आई इस गिरावट की दिशा को मोड़ने के लिए शुरूआत बचपन और बाल्यावस्था से ही करनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार किसी पौधे की देखभाल एक निश्चित समयावधि तक करनी ही होती है, उसी प्रकार आज की पीढ़ी को भी भावी पीढियों को सामाजिक रूप से वांछनीय जीवन मूल्यों के रूप में ऐसा कुछ देना होगा जिनके आधार पर यह पीढ़ी सुख के वास्तविक अर्थ को समझते हुए तथा खुद और समाज के सुख में एक तालमेल रखते हुए आगे बढ़े। संस्कृत साहित्य इस प्रकार के उदात्त जीवन मूल्यों की दृष्टि से दुनिया के सर्वाधिक समृद्ध साहित्यों में से एक है। इसी समृद्ध साहित्य से चुनकर अर्पित और समर्पित हैं हिन्दी भावार्थ सहित कुछ मुक्तामणि पाठकों, विशेष तौर पर बालकों और युवाओं के हितार्थ :

iklknL; fofuek.k] eyfHkfRrjii{;rA
rFkko thouL;knk cgep;ei{;rAA

जैसी महत्वपूर्ण भूमिका किसी भवन के निर्माण में भवन की नींव की होती है लगभग वैसी ही भूमिका जीवन निर्माण में ब्रह्मचर्य अवस्था अर्थात विद्यार्थी जीवन की होती है, अर्थात् जैसे कि, किसी सुदृढ़ भवन के लिए मजबूत नींव का होना जरूरी है उसी प्रकार जीवन का शेष भाग काफी कुछ अनुशासित और संस्कार युक्त जीवन के माध्यम से विद्यार्थी जीवन के दौरान अर्जित संस्कारों पर निर्भर करता है।

J;rke èkelloLoe] JRok pkI;oèkk;rkeA
vkReu% ifrdykfu] ij"kk u lekpjrAA

सभी धर्मों को पढ़ने तथा समझने के बाद सार रूप में जो बात निकलती है वह यह है कि ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति दूसरों से न चाहते हों।

vfHkoknu'khyL; fuR;o)kilfou%A
pRokfj rL; oèkUr vk;fo|k;'kkcyeAA

अभिवादनशील तथा नित्यप्रति बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीजों आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है ।

v"Vkn'kkijk.k"k 0;klL; opu};eA
ijkidkj% i.;k; ikik; ijihMueAA

अठारह पुराणों में संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण महर्षि वेदव्यास की दो बातें ये हैं कि औरों की भलाई करने से पुण्य मिलता है तथा औरों को पीड़ित करने से पाप।

fo|k nnkfr fou;] fou;kn ;kfr ik=rkeA
ik=Rokn èkuokIukfr] èkukn èke% rr% l[ke AA

विद्या से विन्रमता आती है, विन्रमता से पात्रता (योग्यता) आती है, पात्रता से व्यक्ति धन अर्जित करता है, धन से ही व्यक्ति अपने विभिन्न धर्मों अर्थात् कर्तव्यों का पालन करता है और कर्तव्यों के पालन से ही सुख की प्राप्ति होती है।

Ekkrror ijnkj"k] ijn0;"k yk"BorA
vkReor loHkr"k ;% Ik';fr l% if.Mr%AA

पराई स्त्रियों को माता के समान तथा पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान और अन्य सभी प्राणियों को

---

* *फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

अपने ही समान जो व्यक्ति समझता है वही व्यक्ति सही मायने में ज्ञानी और समझदार होता है तथा और सभी अज्ञानी ।

lkfgR; lxhr dykfoghu%]
lk{kkr Ik'k% iPNfo"kk.kghu%A
r`.k u [kknUufi
thoekuLrnHkkxèk;a ijea Ik'kuke

साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींगों वाले पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति भले ही घास–फूस न खाता हो, फिर भी ऐसे व्यक्ति की गिनती पशुओं में ही हो सकती है।

;"kka u fo|k u ri u nku]
Kku u 'khy u x.kk u èke%A
r eR;ykd HkfoHkkjHkrk%]
eu"; :i.k e'xk'pjfUr AA

जिनके पास न तो विद्या है, जो न अपने कर्तव्यों का पालन और दान करते हों, न जिनको ज्ञान है, न लज्जा है, न गुण हैं, ऐसे मनुष्य इस पृथ्वी पर भार–स्वरूप ही हैं और मनुष्यों के रूप में चलते फिरते पशु।

dkdp"Vk odkè;ku] 'okufunk rFkSo pA
vYikgkjh xgR;kxh fo|kFkh iapy{k.keAA

कौवे जैसी चेष्टा (दृष्टि), बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी कच्ची नींद, अल्पाहारी तथा घर त्यागने के लिए तत्पर, विद्यार्थी के ये पांच लक्षण हैं।

mRlkg lEiUuenh?kl=]
fØ;kfofèkK O;lu"olDre A
'kja dr'K n<lkâna p]
y{eh Lo;a ;kfr fuokl gsrk%AA

उत्साह से परिपूर्ण, आलस्यहीन, किसी कार्य को करने की विधि को जानने वाले, व्यसनों से दूर, साहसी, लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने वाले तथा दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति के पास लक्ष्मी (समृद्धि) स्वयं ही निवास करने आती है।

ikikfUuokj;fr ;kt;r fgrk;]
xg;a fuxgfr x.kku iadVhdjksfrA
vkinxra p u tgkfr nnkfr dky]
lfUe=y{k.kfene izonfUr lUr%AA

संतों के अनुसार एक अच्छा मित्र वह है जो पापों से हटाता हो, हितपूर्ण (कल्याणकारी) कार्यों में लगाता हो, सार्वजनिक तौर पर अवगुणों को छिपाता हो और गुणों को प्रकट करता हो तथा मुसीबत के समय साथ न छोड़ता हो।

fo|k fookna; èkua enk;]
'kfDr% ijs"kka ifjihMuk;A
[kyL; lkèkks% foijhrersr]
Kkuk;] nkuk; p j{k.kk;AA

जहां एक ओर एक सज्जन और समझदार व्यक्ति अपनी विद्या का इस्तेमाल ज्ञान के लिए, धन का दान करने के लिए तथा शक्ति का कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए करता है वहीं दूसरी ओर दुर्जन और मूर्ख व्यक्ति इनका इस्तेमाल क्रमशः अनावश्यक विवाद, घमंड तथा निर्बलों को कष्ट पहुंचाने के लिए करता है।

v;a fut% ijks osfr x.kuk y?kpsrlkeA
mnkjpfjrkuka rq olqèkSo dqVqEcdeAA

यह अपना है और वह पराया है, इस प्रकार की मानसिकता छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति रखते हैं, बड़ी सोच रखने वाले (उदारमना) व्यक्तियों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनके स्वयं के परिवार के समान है।

vylL; dqrks fo|k] vfo|L; dqrks èkueA
vèkuL; dqrks èke%] vèkeL; dqrks lq[keAA

आलसी व्यक्ति विद्या अर्जित नहीं कर सकता, विद्याहीन व्यक्ति धन अर्जित नहीं कर सकता, धनहीन व्यक्ति अपने धर्म (विभिन्न कर्तव्यों और दायित्वों) का निर्वाह नहीं कर सकता तथा बिना धर्म का पालन किए व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता।

Uk pkSjgk;Z u p jkt gk;Z
u HkzkrHkkT;e u p HkkjdkfjA
O;;s Ñrs oèkZr ,o fuR;a
fon;k èkua lokZèkuièkkueAA

विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है, न राजा (शासक) हर सकता है, न भाई बांट सकता है और न ही इसमें कोई वजन होता है, इसके साथ ही यही ऐसा धन है जो व्यय करने से नित्य प्रति बढ़ता है, इसी कारण से विद्या रूपी धन सभी प्रकार के धनों में सर्वश्रेष्ठ है।

,dukfi lqo{k.k iqf"irsu lqxfUèkukA
Okkfl rn oua loZ lqiq=.k dqya ;FkkAA

जिस प्रकार किसी बगीचे में लगे सुगंध पूर्ण एक भी वृक्ष के पुष्पित होने मात्र से पूरा बगीचा सुगंधमय हो उठता है ठीक उसी प्रकार किसी परिवार में एक मात्र

अच्छी संतान होने पर भी पूरा का पूरा परिवार और कुल गौरव और सम्मान प्राप्त करता है।

lR;a c;kr fi;a c;kr] u c;kr lR;efi;eA
fi;a p ukure c;kr ,"k èke% lukru%AA

सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सत्य जो अप्रिय हो उसे बोलने से बचना चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए जो प्रिय और सत्य दोनों हो, यही सनातन धर्म है, और इसी में समझदारी है।

lEi.kZdqEHkks u djksfr 'kCne]
vèkks ?kVks ?kks"kemqifr uwue~A
fonoku dqyhuks u djksfr xoZe]
e<kLrq tYifUr x.kfogheuk%AA

विद्वान और कुलीन व्यक्ति ठीक उसी प्रकार कभी भी अनावश्यक गर्व और शोर नहीं करते जिस प्रकार कि, जल से परिपूर्ण (पूरी तौर पर भरा हुआ) घड़ा शोर नहीं करता (और पूर्ण तल्लीनता से जीवन साधना में संलग्न रहते हैं), जबकि मूर्ख और गुणों से विहीन व्यक्ति अल्प/कम जल वाले घड़े की भांति शोर ज्यादा करते हैं, काम कम।

ukfjdsy lekdkjk n'';Urs Hkqfo lTtuk%
vU;s cnfjdkdkjk cfgjso euksgjk%AA

सज्जनों का स्वभाव काफी कुछ नारियल जैसा होता है अर्थात् वे काफी कुछ नारियल की ही भांति बाहर से तो काफी कठोर होते हैं लेकिन अन्दर से काफी कोमल।

euL;U;n~ opL;U;n~ dk;ZeU;n~ nqjkRerkeA
euL;sd~] opL;sde~ de.;sd~ egkReuke~

जहां एक ओर दुष्ट और दुराशयी लोग मन, वचन और कर्मों में एकरूपता नहीं रखते वहीं दूसरी ओर सज्जन और सदाशयी लोगों का गुण प्रायः यह होता है कि वे इन तीनों में एकरूपता रखने का पूरा पूरा प्रयास करते है।

vYidk;ZdjkZ% lfUr ;s ujk% cgqHkkf"k.kA
'kjRdkfyuesa?kkLrs uuq xtZfUr doyeAA

जो लोग बोलते बहुत ज्यादा हैं वे कम ही कार्य कर पाते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि शरद्कालीन बादल गरजते तो बहुत हैं पर बरसते कम ही हैं।

thfora ;L; thofUr ykds fe=kf.k ckUèkok%A
lQya thfora rL; dk u LokFkkZ; thofrAA

इस संसार में सही अर्थों में उसी व्यक्ति का जीवन, सार्थक और सफल है जो मित्रों और बन्धु–बान्धवों के लिए जीता हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन का जीना भी क्या जीना जो केवल खुद के स्वार्थ के लिए जीवन जीता हो।

dk0;'kkL=fouksnsu dkyks xPNfr èkhekrkeA
0;luus p ew[kkZ.kka funz;k dygsu okAA

बुद्धिमान और मननशील लोगों का अधिकतर समय काव्य और शास्त्रों के पठन–पाठन में व्यतीत होता है जबकि इसके ठीक विपरीत मूर्ख लोग अपने बहुमूल्य जीवन का अधिकांश समय व्यसनों, अनर्गल प्रलाप, नींद और कलह में गंवा देते हैं।

v'oL; Hkw"k.ka osxks eÙkks L;kn~ xtHkw"k.keA
pkrq;Ze~ Hkw"k.ka uk;kZ m|ksxks ujHkw"k.keAA

घोड़े का आभूषण उसका वेग होता है, हाथी का आभूषण उस की मदमस्त चाल होती है। नारियों का आभूषण चतुरता होती है और पुरूषों का आभूषण उनकी उद्यमिता (परिश्रमशीलता) होती है।

dqyL;kFks R;tsnsde~ xzkeL;kFks dqyR;tsrA
xzke tuinL;kFks vkRekFks i`fFkoha R;tsrAA

कुल (परिवार) के लिए स्वयं का, ग्राम के लिए कुल का, जनपद के लिए ग्राम का और आत्मा के उत्थान के लिए व्यक्ति को जीवन का भी त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

Jks=a Jqrsuso u dq.Myus nkusu ikf.kuZ rq dd.kuA
foHkkfr dk;% d:.kkijk.kke~ ijksidkjsu rq pUnusuAA

कानों की शोभा सुनने योग्य बातों को सुनने से होती है न कि कुण्डल धारण करने से, हाथों की शोभा दान से होती है न कि कंगन पहनने से, इसी प्रकार शरीर की शोभा औरों के प्रति करुणा भाव रखने तथा औरों के कल्याण के लिए कार्य करने से होती है न कि चंदन का लेप करने से।

nqtZusu lea l[;a izhfra pkfi u dkj;srA
m".kks ngfr pkxkj% 'khr% d".kk;rs djeAA

दुष्टों का साथ और उन से प्रीति कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार कोयला गर्म होने पर हाथ जला देता है और ठंडा होने पर हाथ काला कर देता है ठीक उसी प्रकार दुष्टों का साथ और प्रीति हमेशा ही नुकसानदायी होता है।

m|eu fg flè;fUr dk;kf.k u euksjFkS%A
u fg lqIrL; flagL; izfo'kfUr eq[ks e`xk%AA

प्रयास और परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं न कि मनोकामना करने मात्र से, ठीक उसी प्रकार जैसे कि सोते हुए सिंह के मुख में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता।

mn;s lfork jDrks jDr pkLre;s rFkkA
lEiÙkkS p foiÙkkS p egrkesd :irkAA

उदय होने के समय सूर्य रक्त वर्ण का होता है और अस्त होने के समय भी रक्त वर्ण का ही। इसी प्रकार महान लोगों की यह पहचान है कि वह संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख के समय एक जैसे ही रहते हैं।

'kkfUr rqY;a rik ukfLr rk"kkUu ijea lq[keA
ukfLr r".kkijks O;kfèkuZ p èkeksZ n;kij%AA

शान्ति के समान कोई तप नहीं और संतुष्टि के समान कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं और दूसरों पर दया करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं।

ew[kZL; iap fpgukfu xoksZ nqoZpua rFkkA
Øksèk'p n<okn'p ijokD;"ouknj%AA

मूर्ख के पांच लक्षण हैं, अभिमान, दुर्वचनवादिता, क्रोध, हठधर्मिता तथा औरों की बात का अनादर।

uefUr Qfyuks o{kk uefUr xq.kuks tuk%A
'kq"dd"B'p ew[k'p u uefUr dnkpuAA

फलों से आच्छादित वृक्ष झुक जाते है, गुणवान लोग भी नमनशील होते हैं, जबकि इसके विपरीत सूखे वृक्ष और मूर्ख कभी भी नमनशील नहीं होते।

viwoZ% dks·fi dks'kks·;a fo|rs ro Hkkjfr A
O;;rks of)ek;kfr {k;ek;kfr lap;krAA

हे मां सरस्वती ज्ञानरूपी आपका यह खजाना कितना विचित्र है जो व्यय करने पर बढ़ता है और संचय करने पर घटने लगता है।

vukjEHkks fg dk;k.kka iFkea cqf)y{k.keA
ikjCèkL;kUrxeua f}rh;a cqf)y{k.keAA

बुद्धिमान लोगों के दो प्रमुख लक्षण होते हैं, एक तो यह कि वे जल्दबाजी और उतावलेपन में किसी कार्य को आंरभ नहीं करते और दूसरा यह कि जिस कार्य को एक बार आरंभ कर दिया उसको पूर्ण करके ही चैन की सांस लेते हैं।

vèkek% èkufePNfUr èkua eku p eè;ek%A
mRrek% ekufePNfUr ekuks fg egrka èkueAA

अधम (निम्न कोटि के) लोग महज धन की इच्छा रखते हैं, मध्यम कोटि के लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं तथा उत्तम कोटि के लोग मुख्यतः सम्मान की ही इच्छा रखते हैं। इस प्रकार सम्मान ही सबसे बड़ा धन है।

;Fkk fpÙka rFkk okpk ;Fkk okpLrFkk fØ;k%A
fpÙks okfp fØ;k;ka p lkèkwukeasd :irk AA

जैसा मन में, वैसा ही वाणी में और जैसा वाणी में वैसा ही व्यवहार में, इस प्रकार सज्जन लोग मन से, वाणी से और व्यवहार से एकरूपता लिए होते है।

fons'ks"kq èkua fo|k O;lus"kq èkua efr%A
ijyksds èkua èkeZ% 'khya loZ= oS èkueAA

विदेश में विद्या धन का काम करती है, व्यसनों में पड़े व्यक्ति के लिए विवेक धन का कार्य करता है, परलोक में धर्म धन होता है और विनम्रता और विनयशीलता सभी जगह मददगार और धन का काम करती है।

vfHkekuks èkua ;s"kka fpjathohfUr rs tuk%A
vfHkekufoghukuka fda èkusu fdek;q"kkAA

स्वाभिमान जिनका धन (गुण) है वे लोग चिरकाल तक जीवित रहते है, इसके विपरीत स्वाभिमान–विहीन लोगों के पास कितना ही धन क्यों न हो और कितना ही लम्बा जीवन, लेकिन यह सब बेकार है।

iqLrdLFkk rq ;k fo|k ijgLrxra èkueA
dk;Zdkys leqRiUus u lk fo|k u rn èkueAA

पुस्तक में मौजूद विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर काम नहीं आता। अतः ऐसा धन न तो धन है और न ऐसी विद्या, विद्या ।

ficfUr u|% Lo;eso ukEHk%
Lo;a u [kknfUr Qykfu o{kk%A
uknfUr L;L;a [kyq okfjokgk%
ijksidkjk; lrka foHkwr;%AA

नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीतीं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल अपने जल से खुद को नहीं सींचतें, इसी प्रकार परोपकारी लोग अपना जीवन स्वयं के लिए न जीकर औरों के लिए जीते हैं।

"kM nks"kk% iq:"k.kg gkrO;k HkwfrefPNrkA
funzk rUnzk Hk;a Øksèk% vkyL;a nh?kZlw=rkAA

कल्याण और उन्नति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को छः दोषों से बचना चाहिए निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और चीजों को टालते रहने की प्रवृत्ति।

"kM x|.kk% i|:"k.kg R;Dr0;k u dnkpuA
lR;] nkue] vukyL;e] vul|;k] {kek èkfr%AA

किसी भी व्यक्ति को छः गुण कभी भी नहीं त्यागने चाहिए, सत्य, दान, अनालस्य, औरों के सुख के प्रति द्वेष भाव न रखना, क्षमा तथा धैर्य।

u tkr| dke% dkekukeiHkkxu 'kkE;frA
gfo"kk d".koRe o ,okfHkoèkr AA

कामनाएं उपभोग करने से शांत नहीं होती बल्कि बार बार ठीक उसी प्रकार अभिवृद्धि को प्राप्त होती हैं जिस प्रकार कि अग्नि में घी डालने पर अग्नि ।

l fg Hkofr nfjnk ;L; r".kk fo'kkykA
eufl p ifjr|"V dk·Fkoku dk nfjn%AA

जिस की तृष्णाएं (इच्छाएं) अंतहीन हैं वही दरिद्र है जबकि जो मन से संतुष्ट है उसके लिए दरिद्रता और धनवान का प्रश्न ही कहां उठता है।

vfLFkj| thfor| ykd| vfLFkj| èku;kouA
vfLFkjk% i|=nkjk'p èke|dhfr|};| fLFkjeAA

इस जीव लोक में धन और यौवन अस्थिर हैं, संतान और जीवन–साथी भी अस्थिर हैं। केवल धर्म और कीर्ति ही स्थिर हैं।

u df'pr dL;fpfUe=| u df'pr dL;fpr fjiq%A
0;ogkj|.k tk;Ur fe=kf.k fjioLrFkkAA

इस दुनिया में न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। यह हमारा व्यवहार ही है जो मित्रता और शत्रुता का कारण बनता है।

l|[kkFkh ok R;tn fo|k fo|kFkh ok R;tn l|[keA
l|[kkfFku% dqrk fo|k dqrk fo|kfFku% l|[keAA

सुख और आराम की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्ति की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और विद्या प्राप्ति की उम्मीद रखने वाले को कम से कम विद्यार्थी जीवन के दौरान सुख और आराम की इच्छा छोड़ देनी चाहिए।

fnoluo rr dq;kn ;u jk=k l|[k olrA
;koTthou p rRdq;kn ;u iR; l|[k olrAA

दिन के दौरान ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि व्यक्ति रात्रि में आराम से सो सके और जीवनपर्यन्त ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि परलोक सिधारने के बाद भी व्यक्ति का नाम सम्मान एवं आदर से लिया जाए।

[ky% l"kiek=kf.k ijfPNnkf.k Ik';frA
vkReuk fcYoek=kf.k Ik';Uufi u Ik';frAA

दुष्ट व्यक्ति सरसों के दाने के बराबर भी औरों के दोष देख लेता है और स्वयं के बेल के फल के समान दोषों की भी अनदेखी कर देता है। जबकि सज्जनता और समझदारी औरों के दोषों की ओर ध्यान न देकर खुद के दोषों पर ध्यान केन्द्रित करने में है।

OkÙk ;Ruu lj{kn foRrek;kfr ;kfr pA
v{kh.kk foÙkr% {kh.kk oRrrLr| grk gr%AA

चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता और जाता ही है। धन जाने से सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता जबकि एक बार छवि खराब हो जाने पर उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाती।

u df'pnfi tkukfr fd| dL; 'ok Hkfo";frA
vr% 'o% dj.kh;kfu d|;kn|o cf)ekuAA

कोई भी यह नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है अतः कल करने वाले काम को आज ही करने में बुद्धिमानी है।

Ekkrk firk p o| 'k=|;u ckyk u ikB;rA
Uk 'kkHkkr| lHkkeè;| gl eè;| cdk ;FkkA

वे माता और पिता बच्चों के शत्रु हैं जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते क्योंकि शिक्षा के अभाव में उनके बच्चों की बड़े होकर समाज में ठीक वही स्थिति हो जाती है जो कि विवेकशीलता के विकास के अभाव में हंसों के बीच बगुले की।

;= uk;Lr| iT;Ur| jeUr| r= norkA
;=|rkLr| u iT;Ur| lokLr=kQyk% fd|;kAA

जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं और जहां उनका यथोचित सम्मान नहीं होता वहां अधिकतम प्रयास निष्फल हो जाते हैं।

ÛÛÛÛÛÛÛÛ

मानव जीवन के विविध पक्षों से जुड़े उपरोक्त विभिन्न आदर्शों एवं जीवन मूल्यों को व्यावहारिक जीवन में उतार पाने में भले ही कुछ मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करना पड़े लेकिन यह तय है कि इन आदर्शों पर चलकर हम एक स्वस्थ और बेहतर समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

नवयौवना

डॉ॰ पूनम एस. चौहान*

एकबारगी ठिठक गया मैं
उस नवयौवना को देखकर
जूही की लता सी मदमाती
चहुँ ओर सुगंध बिखेरती
कोयल सी चहचहाती
कानों में मिश्री सी घोलती, वो नवयौवना
एकबारगी हृदय में हिलोरें भर गई।

लहराती चलती मस्ती में
पायल खनखनाती बस्ती में
रंग–बिरंगे फूलों को हाथों में लिए
कपोल लालिमा से भरे हुए
मदिरा सी बिखेरती, वो नवयौवना
एकबारगी मानस पटल में रस भर गई।

चन्द्रकिरण सी रोशनी बिखेरती
शिवगंगा की लहरों सी शीतलता बिखेरती
फूलों से लदी डालियां थामती इठलाती
प्रेम का दीप जलाती, वो नवयौवना
एकबारगी रोशनी से जीवन भर गई।

कभी तो उन्मत्त मुक्त हँसी
तो कभी गुलाब की पंखुड़ियों सी
सिमटी शर्मीली हंसी
सौंदर्य की अनुपम छटा
देख जिसे चन्द्रमा भी घटा
लतावलि में छिपती, उजागर होती
नयनों से नयन मिलाती, वो नवयौवना
एकबारगी मुझे अपना बना गई।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

ओ वासंती पवन हमारे घर आना

डॉ. कुँअर बेचैन*

बहुत दिनों के बाद खिड़कियाँ खोली हैं
ओ वासंती पवन हमारे घर आना।

जड़े हुए थे ताले सारे कमरों में
धूल भरे थे आले सारे कमरों में
उलझन और तनावों के रेशों वाले
पुरे हुए थे जाले सारे कमरों में
बहुत दिनों के बाद साँकलें डोली हैं
ओ वासंती पवन हमारे घर आना।

एक थकन सी थी नव भाव तरंगों में
मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में
लेकिन आज समर्पण की भाषा वाले
मोहक मोहक, प्यारे प्यारे रंगों में
बहुत दिनों के बाद खुशबुएँ घोली हैं
ओ वासंती पवन हमारे घर आना।

पतझर ही पतझर था मन के मधुबन में
गहरा सन्नाटा सा था अंतर्मन में
लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर
चिंतन की छत पर, भावों के आँगन में
बहुत दिनों के बाद चिरैया बोली हैं
ओ वासंती पवन हमारे घर आना।

बहुत दिनों के बाद खिड़कियाँ खोली हैं
ओ वासंती पवन हमारे घर आना।

—साभार: www.kavitakosh.org

* *प्रख्यात कवि*

जलवायु परिवर्तन और भारत

बीरेन्द्र सिंह रावत*

इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थिर रहता हो। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन सदैव होता रहता है। यह जैविक, भौतिक एवं सामाजिक तीनों जगत में पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मौसम में भी यह परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता रहता है तथा मौसम चक्र में एक वर्ष में तीन मौसम गर्मी, बरसात एवं जाड़ा होते हैं। मौसम, किसी भी स्थान की औसत जलवायु होती है, जिसे कुछ समयावधि के लिए वहां अनुभव किया जाता है। इस मौसम को तय करने वाले कारकों में वर्षा, हवा, नमी, ऊष्मा एवं तापमान प्रमुख हैं। मौसम में बदलाव जल्दी होता है, जबकि जलवायु में बदलाव आने में काफी समय लगता है। परंतु पिछले 150–200 वर्षों में यह जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हुआ है कि समस्त प्राणी एवं वनस्पति जगत को इस बदलाव के साथ सामंजस्य बैठाने में मुश्किल हो रही है। जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकट को लेकर पूरा विश्व चिंतित है क्योंकि इससे न केवल मौसम संबंधी अनियमितता सामने आ रही है, अपितु मौसम की विकरालता से जन–धन की भी बहुत क्षति हो रही है।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52 फीसदी भाग कृषि एवं इससे संबंधित कामों से अपनी आजीविका चलाता है। आम, केला, चीकू, नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च और हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, तथा चावल, गेहूं एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। वर्ष 2015 में हमारे देश में मौसम का अनियमित चक्र देखा गया, जिसका कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मार्च में हुई बेमौसमी बारिश ने उत्तर और मध्य भारत के कई इलाकों में रबी की फसल को तबाह कर दिया। बरसात के मौसम के दौरान जहां एक ओर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत देश के कई इलाकों में औसत से कम बारिश हुई, जिससे खरीफ की फसल प्रभावित हुई, वहीं दूसरी ओर राजस्थान, गुजरात समेत पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश से जान–माल एवं अनाज का भारी नुकसान हुआ। नवंबर–दिसंबर में चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार कई दिनों तक हुई भारी वर्षा से जान–माल की भारी क्षति हुई।

इसी प्रकार सर्दी भी देर से शुरु हुई। रबी की फसलों के लिए दिन का तापमान 15–20 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 3–5 डिग्री सेल्सियस सबसे उपयुक्त समझा जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रबी की फसलों के लिए दिसंबर में आम तौर पर 8–9 मिमी. वर्षा की आवश्यकता होती है, परंतु दिसंबर में वर्षा नहीं हुई और परिणामस्वरूप इस माह दिन का औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस एवं रात का औसत तापमान लगभग 6 सेल्सियस डिग्री रहा। पानी की कमी और मौसम की बेरुखी से उपज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।

वर्ष 1880 से दर्ज किए जा रहे पृथ्वी के तापमान में वर्ष 2015 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। मई–जून में देश के महज दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही भयंकर गर्मी से क्रमशः 1636 और 541 (कुल 2177) लोगों की मौत हुई। मौसम लगातार गर्म रहने के कारण इस वर्ष डेंगू का दिल्ली में वर्ष 1996 के बाद सबसे बुरा प्रकोप देखा गया। औसत न्यूनतम एवं औसत अधिकतम तापमान अधिक रहने के कारण अकेले अक्टूबर माह में ही डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या महज दिल्ली में 3,077 तक पहुंच गयी। डेंगू 11.9 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ज्यादा फैलता है तथा 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर मच्छरों की प्रजनन क्षमता दुगुनी हो जाती है। इस वर्ष देश भर में डेंगू से पीड़ित व्यक्तियों की कुल संख्या 10,683 रही, और 41 व्यक्तियों को इस भयंकर बीमारी के कारण मृत्यु का शिकार होना पड़ा। नवंबर–दिसंबर में चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में रिकॉर्ड 1197 मिमी.

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

बारिश हुई और 400 से अधिक व्यक्ति काल के ग्रास में समा गए। चेन्नई में इससे पहले वर्ष 1918 में सर्वाधिक 1088 मिमी. बारिश हुई थी।

tyok;| ifjor|u d| dkj.k% जलवायु परिवर्तन के कारणों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है – (क) प्राकृतिक कारण, तथा (ख) मानवीय कारण।

¼d½ Ákd'frd dkj.k% जलवायु परिवर्तन के लिए अनेक प्राकृतिक कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं।

1- **egk}hik dk f[kldu%** करोड़ो वर्ष पूर्व विश्व का भूभाग ऐसा नहीं था, जैसा कि आज दिखाई देता है। महाद्वीपों के खिसकने के कारण ही उनकी भौगोलिक स्थित एवं जलवायु में परिवर्तन हुआ है। अंटार्कटिका में उष्णकटिवंधीय पौधों के जीवाश्म (कोयले के भंडार के रूप में) मिलने से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह ठंडी जगह अतीत में हरी–भरी वनस्पतियों के साथ भूमध्य रेखा के निकट रही होगी। महाद्वीपों का खिसकना आज भी जारी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला हर वर्ष 1 मिमी. बढ़ रही है।

2- **Tokyke|[kh dk QVuk%** जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो यह बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, राख, जलवाष्प और धूल बाहर फेंकता है। हालांकि ज्वालामुखी कुछ ही दिनों में शांत हो जाता है, किंतु इसके द्वारा बड़ी मात्रा में छोड़ी गई गैसें और राख जलवायु के पैटर्न को प्रभावित करते हैं।

3- **IkFoh dk >|dko%** पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में एक साल लगाती है। यह अपनी कक्षा में लम्बवत 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। साल के आधे दिनों में, जब गर्मी होती है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, तथा बाकी के दिनों में जब सर्दी होती है, यह सूर्य से दूर झुका हुआ होता है। इसी झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। परंतु झुकाव अनियमित होने पर मौसम में गंभीर परिवर्तन होते हैं। यदि यह झुकाव अधिक हो जाता है तो ग्रीष्मकाल में गर्मी तथा शीतकाल में सर्दी बढ़ जाती है और यह झुकाव कम होने पर गर्मी और सर्दी कम पड़ती है।

4- **Hkdi%** हालिया अनुसंधानों में पता चला है कि जलवायु में परिवर्तन भूकंप के कारण भी हो सकते हैं। अधिक तीव्रता वाले भूकंप बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस है तथा जब यह कच्चे रूप में वायुमंडल में मिलती है तो कार्बन डाई ऑक्साइड से भी ज्यादा हानिकारक होती है। वायुमंडल में घुली हुई कच्ची मीथेन सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती है तथा इस प्रकार धरती के तापमान को बढ़ाती है।

¼[k½ ekuoh; dkj.k% जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानवीय कारणों में निम्नलिखित प्रमुख हैं।

1- **vk|kfxd Økfr%**

अट्ठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध से अब तक अनेक पश्चिमी देशों एवं जापान सहित अनेक विकसित देशों में लोगों का जीवन–स्तर 40 गुना ऊपर उठा है। इसके प्रमुख कारणों में पूंजीवाद और विज्ञान एवं तकनीक का गठजोड़ है। नए–नए आविष्कारों से लोहा बनाने की तकनीकें आयीं और इन देशों में बड़े–बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। इसके साथ ही औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए इन देशों में जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल एवं गैस) तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन शुरु हुआ। इन देशों में बिजली के उत्पादन एवं उद्योगों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। 1850–2011 के दौरान अमेरिका एवं यूरोपीय यूनियन के देशों में भारत के कार्बन उत्सर्जन से 10–10 गुणा ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया गया। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के देशों, रूस, जापान, कनाडा और आस्ट्रेलिया ने इस अवधि में कुल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के दो–तिहाई का उत्सर्जन किया।

काफी समय पहले से ही परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे विकसित देशों में आज भी कुल बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके पैदा की जाने वाली ऊर्जा का प्रतिशत इस प्रकार हैः

अमेरिका (68 प्रतिशत), जापान (73 प्रतिशत), आस्ट्रेलिया (87 प्रतिशत), जर्मनी (55 प्रतिशत) तथा यूरोपीय यूनियन (41 प्रतिशत) है। विकासशील देशों में चीन और भारत में कुल बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके पैदा की जाने वाली ऊर्जा का प्रतिशत क्रमशः 74 प्रतिशत एवं 76 प्रतिशत है।

2- Hk&mi;kx iVu% औद्योगिकीकरण से पूरे विश्व में नए–नए रोजगारों का सृजन हुआ तथा लोगों का गाँवों से शहरों में पलायन हुआ। इसके अतिरिक्त विश्व की जनसंख्या में भी काफी वृद्धि हुई। इन सबके के कारण भू–उपयोग पैटर्नों में बदलाव देखने को मिला। शहरी आबादी की मकान की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए न केवल कृषि–योग्य भूमि का उपयोग मकान एवं भवन बनाने के लिए किया गया और वनों की कटाई की गई, अपितु गड्ढों एवं सूखी हुई झीलों की भी भराई की गई। गड्ढों एवं सूखी हुई झीलों की भराई तथा अपशिष्ट के ढेरों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। यदि अपशिष्ट खुली जगह में जलाया जाता है तो काफी मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जित होती है।

3- उपरोक्त के अलावा निम्नांकित गतिविधियों के जरिए भी हम किसी न किसी रूप में जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं।

- वाहनों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है तथा अधिकतर वाहन जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल) से चलते हैं।
- कभी नष्ट न होने वाले प्लास्टिक का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ रहा है ऐसे कूड़े का ढेर, जो वर्षों तक पर्यावरण को खराब करता है।
- हम कार्यालयों एवं विद्यालयों में काफी मात्रा में पेपर का उपयोग करते हैं। पेपर बनाने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की जाती है।
- देश की आबादी बढ़ रही है, परंतु कृषि भूमि का क्षेत्रफल घट रहा है। बढ़ती आबादी की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। खादों के प्रयोग से नाईट्रस ऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है।

l;qDr jk"V dk tyok;q le>kSrk% संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 02 डिग्री से कम रखने के लिए विश्व औद्योगिकीकरण से पूर्व के स्तर से केवल 2,900 गिगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है। परंतु विश्व द्वारा पहले ही 2011 तक 1,900 गिगा टन तथा अब तक लगभग 2,000 गिगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन किया जा चुका है। इस प्रकार अब केवल 900 गिगा टन का कार्बन स्पेस शेष बचा है। वर्ष 2030 तक 648.2 गिगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड का अतिरिक्त उत्सर्जन किया जा चुका होगा।

जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम करने के लिए पेरिस में हुए ''संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन'' में दुनिया के 195 देशों ने 12 दिसम्बर 2015 को जलवायु करार पर ऐतिहासिक समझौते को अपनी मंजूरी दे दी। इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रस्ताव है। इसमें यह भी कहा गया है कि संभव हो तो तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित की जाए। भारतीय प्रस्ताव के तहत हुए इस समझौते में वर्ष 2020 से विकासशील देशों को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कांट्रीब्यूशन (आईएनडीसी) यानि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्य तय किए हैं। भारत ने कार्बन उत्सर्जन के स्तर में वर्ष 2030 तक 33 से 35 फीसदी कमी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा (क) वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा, (ख) 03 अरब टन कार्बन डाई ऑक्साइड का निपटान अतिरिक्त वन लगाकर किया जाएगा, (ग) 175 गीगावाट बिजली नवीकरणीय ऊर्जा के तौर पर उत्पादित की जाएगी, तथा (घ) नदियों की सफाई की जाएगी।

स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में अनुकरणीय कदम

कोचीन अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया में पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है।

18 अगस्त 2015 को केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी ने हवाई अड्डे पर आयोजित एक समारोह में 12 मेगावाट सौर बिजली संयत्र का उद्घाटन किया, जिसमें कार्गो कॉम्प्लेक्स के निकट करीब 45 एकड़ क्षेत्र में 46,150 सोलर पैनल बिछाए गए हैं। इससे हवाई अड्डे को हर दिन 50 से 60 हजार यूनिट बिजली मिलेगी, जो हवाई अड्डे के संपूर्ण परिचालन में खर्च की जाएगी।

अस्तित्व

एलीना सामंतराय जेना*

इस मदमस्त जहाँ में, अकेली हूँ मैं,
हाँ! बिल्कुल अकेली हूँ इस उन्मत्त जहाँ में,
लेकिन, मैं जैसी भी हूँ, अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ हूँ,
मैं हूँ और रहूँगी अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ,
हाँ! अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ।

वो बचपन के दिन और वो मीठी यादें,
वो दादी माँ के किस्से, वो माँ बाबा का दुलार,
और वो भाई की नटखट शैतानियां,
विस्मृत सी हूँ मैं, और पूछती हूँ अपने आप से,
क्या बचपन की वो शरारतें, स्कूल की वो मस्तियां,
वो रातों के किस्सों से उनींदी हुई आँखें,
क्या ये सब खो सा गया है इस उन्मत्त जहाँ में?

हाँ! हाँ! मेरे अंतर्मन से आती है आवाज,
और मिलते हैं मुझे अपने सवालों के जवाब,
बदल गया है सब कुछ, हाँ, बदल गया है सब कुछ।
आज जीवन चट्टान जितना कठिन, कल्पनाओं से परे,
क्षितिज जितना दूर, बहुत दूर..... बहुत दूर,
और मैं ढूँढती हूँ इस जहाँ में प्यार, आदर और विश्वास,
हाँ, पहुंचना चाहती हूँ मैं उस क्षितिज तक,
पहुंचना चाहती हूँ मैं उस क्षितिज तक।

हे ईश्वर, मैं कल्पनाओं और हर्षोल्लास के उस अनंत आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ,
हाँ, मेरे ईश्वर! मैं अनंत आकाश में उड़ना चाहती हूँ,
उस क्षितिज तक पहुंचना चाहती हूँ,
और महसूस करना चाहती हूँ उस दिव्य अहसास को,
बहुत कुछ नहीं बस, वापस चाहती हूँ, वो बचपन की शैतानियां,
रातों के किस्सों से उनींदी होती आँखें, वो मीठी मासूम स्मृतियां,
वापस चाहती हूँ उन बीते हुए दिनों की समस्त कल्पनाएं,
अब और नहीं होना चाहती हूँ अकेली इस उन्मत्त जहाँ में।

हाँ! जीना चाहती हूँ मैं, जीना चाहती हूँ मैं,
बने रहना चाहती हूँ अपने अस्तित्व के साथ,
हे ईश्वर, मुझे शाश्वत प्रकाश का मार्ग दिखाएं
जीना चाहती हूँ मैं अपने अस्तित्व के साथ,
और पाना चाहती हूँ वो प्यार, आदर और विश्वास,
हाँ, जीना चाहती हूँ मैं इस उन्मत्त जहाँ में।

* *एसोसिएट फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

भारत में आरक्षणः एक अवलोकन

राजेश कुमार कर्ण*

1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत के संविधान में पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण कुछ जातियों और जनजातियों से जुड़े लोग ऐतिहासिक रूप से दलित रहे और उन्हें भारतीय समाज में उचित सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया, इसीलिए राष्ट्र–निर्माण की गतिविधियों में उनकी भागीदारी कम रही और वे मुख्यधारा में शामिल होने से वंचित रहे। इसी के मद्देनजर 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ सदियों से भेदभाव होता रहा है, इसलिए जन्मजात जाति को ही आरक्षण का आधार बनाया गया एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। संविधान निर्माण के समय कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजातियों की 7.5 प्रतिशत थी, इसलिए शिक्षा एवं नौकरियों में उन्हें इसी आधार पर आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए वर्ष 1991 में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया एवं वर्ष 2006 में उन्हें उच्च शिक्षा में भी आरक्षण दिया गया। उन्हें आबादी में उनकी 27 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुपात में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। अर्थात, वर्तमान में कुल मिलाकर 49.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को स्थानीय निकायों से लेकर संसद तक के प्रतिनिधि सदनों में भी आरक्षण दिया गया। उपरोक्त आधारों के अतिरिक्त, लिंग के आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायतों और नगर निगमों के चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में भी उन्हें आरक्षण देने हेतु महिला आरक्षण विधेयक 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन लोकसभा में इसका पारित किया जाना अभी बाकी है। इसके अतिरिक्त भारत में महिलाओं को भी शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे/बेटियों/पोते/पोतियों, शारीरिक रूप से विकलांग, खेल हस्तियों, सेवानिवृत्त सैनिकों आदि के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है।

पिछले 66 वर्षों के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण का यह प्रयोग कुछ हद तक सफल रहा है। आरक्षण की इस व्यवस्था से कुछ लोगों को लाभ मिला है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर में कुछ सुधार आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के मुताबिक केन्द्र सरकार की नौकरियों में क्लास वन अधिकारियों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व वर्ष 1959 में 1.18 प्रतिशत था जो बढ़कर क्रमशः वर्ष 1984 में 6.92 प्रतिशत, वर्ष 1995 में 10.12 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 में 12.27 प्रतिशत हो गया। अर्थात, आरक्षण के कारण सरकारी नौकरी में उनकी सहभागिता बढ़ रही है। हालांकि प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो नतीजों में काफी उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है। वर्ष 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के छात्रों पर एक अध्ययन किया गया और इस अध्ययन के मुताबिक एवरेज़ कुमुलेटिव परफॉर्मेन्स इंडेक्स में सामान्य वर्ग के छात्रों को औसतन 8.09 का स्कोर मिला, जबकि अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को 6.6 का स्कोर मिला और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को 5.9 का स्कोर मिला। लेकिन यह जरूरी नहीं कि ऐसा हर बार होता हो और हर जगह होता हो। दूसरा उदाहरण वर्ल्ड डेवलपमेंट जनरल स्टडी (जिसकी रिपोर्ट 2015 में आई) का है। इसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में उत्पादकता में आरक्षण

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

के असर को समझने की कोशिश की गई थी और इस स्टडी में यह पाया गया कि आरक्षण से उत्पादकता पर कोई बुरा असर देखने को नहीं मिलता है। कुछ स्टडी अच्छे प्रदर्शन की बात करती हैं तो कुछ बुरे प्रदर्शन की बात करती हैं। अतः इस पर और ज्यादा अनुसंधान किए जाने की जरूरत है। वस्तुतः यदि आरक्षण का प्रावधान न होता तो उनकी स्थिति काफी निराशाजनक होती। वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के हमारे कर्तव्य और उनके मानवीय अधिकारों के लिए यह उनकी आवश्यकता है। सरकारी नौकरियों एवं शैक्षिक संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ने से विविधता में भी वृद्धि हुई है।

सफलता के साथ आरक्षण की असफलता पर भी नजर डालना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के परिणाम उतने अच्छे नहीं निकले, जितने सरकारी नौकरियों के मामले में निकले। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोटे की कुछ सीटें अभी भी खाली रह जाती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोटे के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बहुत से विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी स्कूली शिक्षा उतनी अच्छी नहीं होती जो उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तैयार कर सके। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ा है।

आरक्षण सिर्फ नौकरी में प्रवेश के लिए होता है, आगे की सफलता की इसमें गारंटी नहीं होती। फिर प्रत्येक स्तर पर आरक्षण देना उचित समाधान भी नहीं है, यह समस्या को बढ़ा भी सकता है। बेहतर होता अगर उन्हें काम के साथ–साथ पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि उनकी कार्य कुशलता को उन्नत किया जा सके किंतु दुर्भाग्यवश भारत में समुचित प्रशिक्षण का नितांत अभाव है। आरक्षण के नतीजे और बेहतर होने चाहिए थे। आरक्षण का लाभ दलितों, आदिवासियों के कुछ प्रभावशाली तबकों तक सीमित हो गया है। एक बहुत बड़ा तबका इसके लाभ से वंचित हो गया है जिनके लिए वास्तव में यह प्रावधान बना था। यानी आरक्षण में सबके लिए समान अवसर की बजाय कुछ के लिए संरक्षण की प्रवृत्ति ज्यादा दिख रही है। यह बात अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलने के बाद ज्यादा स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आई है। अन्य पिछड़ी जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक यथार्थ को नजरअंदाज किया गया जिसके परिणामस्वरूप आरक्षण के फायदे काफी हद तक समृद्ध तबके तक सीमित हो गए। इसी के मद्देनजर 10 अप्रैल 2008 को सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ी जातियों के मलाईदार परत (क्रीमी लेयर) को आरक्षण से बाहर करने का सुझाव दिया। इस सुझाव के अनुपालन में सालाना ₹ 6 लाख से ज्यादा आमदनी वाले अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा गया है, जो उचित है।

ओबीसी की सूची में शामिल होने के लिए कई जातियां समय–समय पर अपना दावा पेश करती रहती हैं। उन्हें लगता है कि उग्र एवं हिंसक विरोध प्रदर्शन करने से उनका दावा मजबूत हो जाएगा। राजस्थान में गुर्जरों, पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में जाटों, महाराष्ट्र में मराठों, गुजरात में पाटीदार समुदाय एवं आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय आरक्षण लड़ कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक जैसी पटकथा पूरे देश में लिखी जा रही है। सबसे पहले एक समुदाय आरक्षण की मांग करता है फिर वोट बैंक के लालच में नेता इस मांग का समर्थन करते हैं और जब वे नेता सत्ता में आते हैं तो फिर इस मांग से इंकार या आनाकानी करते हैं और जो विपक्ष में होता है वह उस समुदाय की आरक्षण की मांग का समर्थन करने लगता है, फिर लाखों लोगों को जुटाकर रैलियां की जाती हैं, सड़कें जाम कर दी जाती हैं, गाड़ियां फूंक दी जाती हैं, ट्रेनें रोक दी जाती हैं, ट्रेनों में आग लगा दी जाती है अर्थात पूरे सिस्टम को ठप्प कर दिया जाता है और आरक्षण के नाम पर यह जंग अनवरत चलती रहती है। ऐसे आंदोलनों में संसाधनों की बर्बादी के साथ–साथ कई बार निर्दोष लोगों की जान भी चली जाती है। जनता की सुविधा और सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति की सुरक्षा की फिक्र न आन्दोलनकारियों को होती है, न पक्ष–विपक्ष के नेताओं को। इसलिए सबकी जवाबदेही तय करने के लिए करे दिशा–निर्देश बनाई जाए। वास्तव में, आरक्षण के चक्कर में काफी हद तक समृद्ध होते हुए भी एक के बाद एक समुदाय इसकी मांग के समर्थन में आन्दोलन किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में जो बेहतर आय, समयबद्ध पदोन्नति और रोजगार की सुरक्षा है वह प्राइवेट नौकरियों या स्वरोजगार में नहीं है इसलिए सरकारी नौकरियों के लिए मारामारी बढ़ी है और आरक्षण के लिए खींचतान भी। राजनीतिक दल इसे वोट बैंक भुनाने के अवसर के रूप में देखते हैं और चुनाव से पहले हर किसी से आरक्षण का वादा करते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वोट बैंक के लालच में हमारे नेता आरक्षण की आग में घी डालने का काम

करते हैं और इस बात की कोई चिंता नहीं करते कि आरक्षण की इस आग से देश लगातार झुलसता जा रहा है। आखिर, आरक्षण के नाम पर यह खेल कब तक खेला जाएगा?

आरक्षण एक आनुपातिक चीज है, किसी को मिलेगा तो किसी को घटेगा। इसलिए जाटों, गुर्जरों, मराठों, पाटीदारों एवं कापू समुदाय द्वारा ओबीसी सूची में शामिल किए जाने की मांग से इस श्रेणी में पहले से मौजूद जातियां अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्हें लगता है कि अन्य जातियों को इस सूची में शामिल किया गया तो उनके लिए अवसर सिमट जाएंगे। गुर्जरों ने खुद को ओबीसी से हटाकर एसटी सूची में लाने की मांग की जिससे इस कोटे की जातियां नाराज हो गईं। राजस्थान में तो मीणा समुदाय और गुर्जरों के बीच खूनी टकराव भी हुआ। यदि स्थिति को संजीदगी से नहीं सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में जाति–युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आखिर, लोगों को यह समझना चाहिए कि आरक्षण सियासी नहीं कानूनी मसला है, इसलिए प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। यदि आन्दोलन से विवश होकर सरकार आरक्षण दे भी देंगी तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा होने की स्थिति में कोर्ट द्वारा इसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस समस्या का समाधान प्राइवेट नौकरियों में ज्यादा तथा बेहतर रोजगार के अवसरों का सृजन करने के साथ–साथ खेती के संकट को दूर कर किया जा सकता है।

हमारे संविधान के निर्माता इस सोच के साथ संविधान में आरक्षण का प्रावधान लेकर आए थे कि इससे देश के वंचित और पिछड़े समुदाय दूसरे वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। लेकिन संविधान लागू होने के 66 वर्षों के बाद भी आरक्षण के कारण हम आज हिंदू, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में बुरी तरह बंटने को अभिशप्त हैं। सरकार को वंचित वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए सभी आधारभूत संसाधनों, आवश्यक सुविधाओं एवं छात्रवृति की व्यवस्था करनी चाहिए। अब हमें आरक्षण को दीर्घकालिक रणनीति के हिसाब से देखना चाहिए। नई शिक्षा नीति तैयार कर सबको बराबरी की स्कूली शिक्षा मिले। इससे गैर–बराबरी की पहुंच, गैर–बराबरी की स्पर्धा और स्कूल से ड्रॉपआउट आदि समस्याएं समाप्त होंगी। आजाद भारत की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि हम शिक्षा को पूरे समाज में विस्तार नहीं दे पाए हैं जबकि सदियों से वंचित लोगों को समुचित प्रतिष्ठा एवं रोजगार के अवसर देने का यही एकमात्र जरिया हो सकती है।

आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लाभ से वंचित रह गया है। आरक्षित वर्गों में भी अंतर्विरोध है, उनमें बहुतों को लगता है कि आरक्षण का लाभ उन्हें बिल्कुल नहीं या बहुत ही कम मिल रहा है। इसलिए आरक्षण का फायदा एक पीढ़ी तक ही सीमित करना चाहिए ताकि इस लाभ से वंचित/बचे हुए लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और उनका भी कायापलट हो सके। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में रियायत देकर मुख्यधारा में लाने की एक नेक व्यवस्था है। यह सही समय है, जब आरक्षण की विसंगतियों को दूर कर इसे अधिक तर्कसंगत बनाने की पहल की जाए। मगर पहल इस ढंग से नहीं की जानी चाहिए कि आरक्षित तबके इससे आशंकित हों। आरक्षण का दायरा बढ़ाना अब समाधान नहीं है। अब समय आ गया है कि सबके लिए शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए ताकि आरक्षण की मांग स्वतः ही धीरे–धीरे कम होने लगे। योग्यता और प्रतिभा का जातिगत आरक्षण के नाम पर दमन, न तो व्यक्ति और न सरकार और न ही राष्ट्र की सेहत के लिए ठीक है। राजनीति देश के लिए हो, आरक्षण के लिए नहीं, जातिगत आरक्षण देशवासियों में सरकार और राष्ट्रीय समरसता के प्रति विद्वेष और विषाक्त वातावरण निर्माण में ही सहभागी बनता चला जा रहा है। योग्यता एवं दक्षता को भी उपयुक्त स्थान मिलेगा तो हम वैश्वीकरण के इस दौर में तेज गति से विकास कर पाएंगे। इससे आपसी सौहार्द बढेगा, ईर्ष्या, द्वेष और विभाजन की रेखा कमजोर पड़ेगी।

दलितों का मसीहा कहे जाने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में सिर्फ 30–40 वर्ष तक ही आरक्षण दिया जाए। इसके साथ यह भी व्यवस्था हो कि आरक्षण व्यवस्था की अवधि को किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जाए। उनका विचार था कि विकास करने के बाद विशेष समुदाय को बाकी समुदाय में घुलमिल जाना चाहिए और विशेष का दर्जा छोड़ देना चाहिए। हालांकि

संविधान सभा ने उनकी बात न मानकर आरक्षण के लिए 10 वर्ष की अवधि तय की थी और इसके साथ ही यह प्रावधान भी जोड़ दिया था कि जरूरत समझे जाने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को नियमित रूप से अनुवर्ती सरकारों द्वारा बढ़ाया जाता रहा है। आज संविधान के लागू होने के 66 वर्ष बीत जाने के बाद भी आरक्षण व्यवस्था ज्यों के त्यों ही लागू है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जाति पर आधारित आरक्षण को जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, उसे मजबूत करने के लिए नहीं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद का इतिहास बताता है कि इन वर्षों में जाति व्यवस्था कमजोर होने के बजाय और ज्यादा मजबूत ही हुई है।

यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है कि आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति होना चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि उच्च वर्ग के गरीब व्यक्ति को आरक्षण की ज्यादा जरूरत है या आर्थिक रूप से सक्षम पिछड़ी जातियों के व्यक्ति को? क्या किसी गरीब को इसलिए सामाजिक समानता का अधिकार दिए जाने से वंचित किया जा सकता है कि वह सामान्य श्रेणी से है? जिस देश में 30 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने को मजबूर हो वहां जाति के आधार पर आरक्षण को उचित नहीं कहा जा सकता है। जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था के बजाय जाति, पंथ एवं धर्म के निरपेक्ष आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना ज्यादा तर्कसंगत है। सभी भूतपूर्व एवं मौजूदा सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों तथा उनके आश्रितों को आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाना चाहिए? गरीबी केवल जाति देखकर नहीं आती है तो फिर आरक्षण केवल जाति के आधार पर क्यों? गरीब गरीब ही होते हैं और गरीबी की न कोई जाति होती है और न कोई धर्म होता है। वास्तव में, भेदभाव बहुआयामी होता है – यह जाति आधारित भी होता है तथा लिंग और आर्थिक स्थिति आधारित भी। हमारे देश की एक बड़ी समस्या यह है कि हम हर स्थिति और घटना को जाति या धर्म के चश्मे से देखते हैं। आरक्षण का दुरूपयोग देशहित के खिलाफ जाएगा।

हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने निजी क्षेत्र में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है और इस सिफारिश के अध्ययन के लिए केन्द्र सरकार ने एक आधिकारिक समिति का गठन किया है। साथ ही, सरकारी नौकरियों की तर्ज पर निजी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण की मांग होने लगी है। उनका मत है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर सीमित हो रहे हैं इसलिए उन्हें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया जाए जबकि कॉरपोरेट सेक्टर का यह मानना है कि चूँकि उन्हें ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है इसलिए कॉरपोरेट सेक्टर में अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर ही किया जाना चाहिए अन्यथा वे विदेशी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले पिछड़ जाएंगी। बेहतर यही होगा कि कॉरपोरेट सेक्टर को विश्वास में लेकर उन पर आरक्षण थोपने की बजाय उन्हें पिछड़े तबके के लोगों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया जाए। अमेरिका, कनाडा मॉडल, जिसके तहत वहां पर कंपनियां अश्वेतों, महिलाओं और विकलांगों को नौकरी में प्राथमिकता देने हेतु खुद पहल करती हैं, को भारत में भी अपनाने की जरूरत है। भारत में कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी पर चर्चा होनी चाहिए। पिछड़े तबके को समुचित शिक्षण–प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जाए ताकि वे रोजगार पाने में सक्षम हो सकें। वैश्वीकरण के युग में गरीबी और बेरोजगारी से आरक्षण के जरिए ही नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक नीतियों और योजनाओं के जरिए विकास के मार्ग पर चल कर ही निपटा जा सकता है। केन्द्र सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। केन्द्र सरकार की 'स्किल इंडिया', 'मेक इन इंडिया', स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया' आदि योजनाओं की सफलता इस दृष्टिकोणगत परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आरक्षण तो होना चाहिए किंतु जाति, धर्म से परे गरीब लोगों के लिए न कि दलित जातियों के समृद्ध लोगों के लिए। आरक्षण की आवश्यकता, इसके तौर–तरीकों और लाभार्थियों की सही पहचान आदि विभिन्न पहलुओं पर सभी पक्षों में खुलकर बात होनी चाहिए। आरक्षण के कारण कुछ वर्ग अपने को वंचित महसूस करते हैं, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। इससे ऐसी आम सहमति उभर सकती है जिससे आरक्षण को लेकर बारंबार होने वाले विवाद का स्थायी समाधान निकल सके। लेकिन ऐसा तभी होगा, जब सभी पक्ष सकारात्मक रूख अपनाएं, न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हों तथा समाज के सभी वर्ग आपसी सामंजस्य स्थापित करके एक इंद्रधुनुषीय गठबंधन बनाएं।

छिपछिप अश्रु बहाने वालो

पद्म भूषण गोपालदास ''नीरज''*

छिपछिप अश्रु बहाने वालो,
मोती व्यर्थ बहाने वालो
कुछ सपनों के मर जाने से,
जीवन नहीं मरा करता है।

सपना क्या है, नयन सेज पर
सोया हुआ आँख का पानी
और टूटना है उसका ज्यों
जागे कच्ची नींद जवानी
गीली उमर बनाने वालो, डूबे बिना नहाने वालो
कुछ पानी के बह जाने से, सावन नहीं मरा करता है।
छिपछिप अश्रु बहाने वालो...

माला बिखर गयी तो क्या है
खुद ही हल हो गयी समस्या
आँसू गर नीलाम हुए तो
समझो पूरी हुई तपस्या
रूठे दिवस मनाने वालो, फटी कमीज़ सिलाने वालो
कुछ दीपों के बुझ जाने से, आंगन नहीं मरा करता है।
छिपछिप अश्रु बहाने वालो...

खोता कुछ भी नहीं यहां पर
केवल जिल्द बदलती पोथी
जैसे रात उतार चाँदनी
पहने सुबह धूप की धोती
वस्त्र बदलकर आने वालो! चाल बदलकर जाने वालो!
चन्द खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है।
छिपछिप अश्रु बहाने वालो...

लाखों बार गगरियाँ फूटीं,
शिकन न आई पनघट पर,
लाखों बार किश्तियाँ डूबीं,
चहलपहल वो ही है तट पर,
तम की उमर बढ़ाने वालो! लौ की आयु घटाने वालो!
लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है।
छिपछिप अश्रु बहाने वालो...

लूट लिया माली ने उपवन,
लुटी न लेकिन गन्ध फूल की,
तूफानों तक ने छेड़ा पर,
खिड़की बन्द न हुई धूल की,
नफरत गले लगाने वालो! सब पर धूल उड़ाने वालो!
कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पन नहीं मरा करता है।

छिपछिप अश्रु बहाने वालो, मोती व्यर्थ बहाने वालो
कुछ सपनों के मर जाने से, जीवन नहीं मरा करता है।

– साभार: www.kavitakosh.org

** प्रख्यात कवि एवं लेखक*

लाल बहादुर शास्त्री

बीरेंद्र सिंह रावत*

स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उनका आरंभिक जीवन कष्टों एवं संघर्षों से भरा था। किंतु अपनी लगन, मेहनत व दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वे भारत के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे। वे एक अद्वितीय देशभक्त, कुशल एवं उत्कृष्ट प्रशासक और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे। सादगी, विनम्रता एवं मितव्ययिता की मिसाल पेश करने वाले एवं 'जय जवान – जय किसान' का नारा देने वाले शास्त्री जी को जब उनके छोटे कद के कारण कमजोर प्रधानमंत्री समझते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खाँ ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया, तब जवाब में भारतीय सेनाओं को जवाबी हमला करने और लाहौर तक को अपने अधिकार में लेने के शास्त्री जी के त्वरित निर्देश ने अयूब ही नहीं, पूरे विश्व को भौंचक्का कर दिया था। कहते हैं कि लड़ाई शुरु होने के ठीक एक दिन पहले शाम साढ़े आठ बजे जब तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शास्त्री जी को बताया कि पाकिस्तानी फौज ने छंब सैक्टर में सीमा पार कर ली है तो उन्होंने उनसे तुरंत पूरी ताकत से जवाब देने के साथ सीमा पर नये फ्रंट खोलने को कहा। इसके साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लाहौर पर भी हमला करने को कहा।

शास्त्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व ने भारतीय सैनिकों का मनोबल इस कदर बढ़ाया कि वे लाहौर के बिल्कुल करीब तक पहुँच गए थे और आखिरकार दुश्मन को घुटने टेकने पड़े थे। शास्त्री जी का व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जीवन–गाथा ही प्रेरणा की स्रोत है। उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग निम्न प्रकार हैं।

¼d½ LokfHkekuh iekkue=h½ 1965 के भारत–पाक युद्ध के दौरान जब 02 सितम्बर 1965 को अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए संदेश भेजा कि यदि भारत ने युद्ध नहीं रोका तो हम गेहूँ देना बंद कर देंगे, तो शास्त्री जी ने एमएस स्वामीनाथन को बुलाया और उनसे पूछा कि आप महान कृषि वैज्ञानिक हैं, यह बताएं कि हमें कितने दिन उपवास करना पड़ेगा, जिससे कि गेहूँ का आयात न करना पड़े। स्वामीनाथन ने गणना करके उन्हें बताया कि दिनों की बात नहीं है, भारतवासी हफ्ते में सिर्फ एक बार अनाज/गेहूँ न खाएं तो हमें अमेरिका से गेहूँ नहीं मंगाना पड़ेगा। इसके बाद शास्त्री जी ने अपनी धर्मपत्नी ललिता देवी से कहा कि आज आप खाना नहीं बनाएं। इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा था कि मैं कल देशवासियों से एक समय का उपवास करने की अपील करने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि खुद मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं कि नहीं। अगले दिन उन्होंने आकाशवाणी पर देश को संबोधित किया। अमेरिका की धमकी के बारे में बताया और कहा कि मैं जब तक प्रधानमंत्री हूँ, आपके स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। मेरी अपील है कि आज शाम से हफ्ते में एक समय आप अनाज (गेहूँ अथवा चावल) खाना बंद कर दें। देश के लोगों पर इस अपील का असर हुआ और लोगों ने उपवास करने का निर्णय लिया।

¼[k½ fgEerh ,oa Lkonu'khy ckyd½ लाल बहादुर का जन्म 02 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय के एक गरीब घराने में हुआ था। पिता का नाम था मुंशी शारदाप्रसाद वर्मा और माँ का नाम था रामदुलारी देवी। मुंशी शारदाप्रसाद वर्मा वाराणसी की एक कायस्थ पाठशाला में अध्यापक थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी और बड़ी मुश्किल से उससे वह अपने घर का खाना–खर्चा चला पाते

** वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

थे। लाल बहादुर की उम्र अभी डेढ़ साल की ही थी कि पिता की मृत्यु हो गई। दोनों माँ–बेटे पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा।

उन दोनों की परेशानी देखकर लाल बहादुर के मौसा रघुनाथप्रसाद वर्मा, उन्हें अपने घर बुला ले गए। लाल बहादुर जब बड़ा हुआ तो मुगलसराय की प्राथमिक पाठशाला में उसका नाम लिखा दिया गया।

लाल बहादुर के पिता तो थे नहीं, रिश्तेदारों की कृपा से ही माँ–बेटे को खाना–कपड़ा मिला करता था। लाल बहादुर की पढ़ाई का इंतजाम भी वही लोग करते थे। एक कहावत है न – होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात जो होनहार होता है वह बचपन से ही गुणी होता है।

यही बात लाल बहादुर पर भी लागू होती थी। वह गरीब था तो क्या हुआ, गुणी तो था ही। खूब मन लगाकर वह बड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगा। आखिर उसने प्राथमिक पाठशाला की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी के हरिश्चंद्र हाईस्कूल में भर्ती हो गया।

उन दिनों लाल बहादुर मुगलसराय में ही अपने मामा के यहाँ रहने लगा था। मुगलसराय और वाराणसी के बीच में गंगा नदी बहती है। लाल बहादुर रोज़ सवेरे नाव से गंगा पार करके स्कूल आता और दिन–भर पढ़ने के बाद शाम को फिर नाव से गंगा पार करके घर चला जाता।

एक दिन शाम को स्कूल बंद होने पर लाल बहादुर गंगा के तट पर तो आया, लेकिन वह नाव पर नहीं चढ़ा और बाहर ही खड़ा रहा। रोज़ आते–जाते देखकर नाव वाला मल्लाह लाल बहादुर को पहचानने लगा था। उस दिन जब नाव चलने का समय हो गया, फिर भी लाल बहादुर नाव पर नहीं चढ़ा तो मल्लाह ने बुलाया, ''क्या बात है लाल बहादुर, आज घर नहीं जाओगे क्या?''

लाल बहादुर ने दबी आवाज में बताया, ''आज तुमको उतराई देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं।''

''अरे वाह, लाल बहादुर! '' मल्लाह ने हँसकर कहा, ''आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं इसीलिए क्या नाव पर नहीं चढ़ोगे? आओ, आज मैं तुम्हें बिना पैसे लिए ही नदी के पार उतार दूँ।''

लाल बहादुर को मल्लाह की बात बड़ी अखरी। उसने नाराजगी से कहा, ''नहीं, मैं मुफ्त में भला क्यों तुम्हारी नाव पर चढ़ूँ।''

मल्लाह ने सुना तो दंग रह गया। उसने खुश होकर कहा, ''तुम तो सचमुच बहुत अच्छे लड़के हो, लाल बहादुर! शाबाश! ठीक है, अगर मुफ्त में तुम नहीं चलना चाहते, तो उधार ही सही। अभी तो तुम नाव से चलो, पैसे बाद में किसी दिन दे देना।''

लाल बहादुर ने एकदम इंकार कर दिया, ''नहीं, मैं उधार भी नहीं करूँगा। आज मैं तैरकर ही नदी पार करूँगा।''

लाल बहादुर सचमुच बड़ा ही हिम्मती था। बात पूरी करते–करते वह नदी में उतर पड़ा और तैरने लगा। एक हाथ में उसने किताब–कापियाँ संभालकर ऊपर उठा रखी थीं, जिससे वे भीगने से बची रहें और दूसरे हाथ से पानी को काटते हुए वह तेजी के साथ दूसरे किनारे की ओर बढ़ने लगा।

नदी पार करके लाल बहादुर घर पहुँचा। रामदुलारी देवी ने जब बेटे को गीले कपड़ों में देखा तो चौंककर पूछा, ''तेरे कपड़े कैसे भीग गए रे, नन्हे?''

लाल बहादुर ने सारी बात बताकर कहा, ''सोचो भला माँ, मल्लाह भी तो आखिर गरीब आदमी है न! मेहनत मजूदरी करके किसी तरह अपना और घरवालों का पेट पालता है। उसकी नाव पर मुफ्त सफर करना तो बुरा काम है न माँ! रही बात उधारी की, सो वह भी गंदी आदत है। फिर जरा–सी बात के लिए किसी का अहसान लेने की जरूरत ही क्या है?''

रामदुलारी देवी ने खुश होकर लाल बहादुर को छाती से लगा लिया। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, ''जो अच्छी बातें सोचता है, वही तरक्की करता है। तू जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, बेटा।''

और जानते हो, वही छोटा–सा लड़का आगे चलकर सचमुच बड़ा आदमी बना–बहुत ही बड़ा आदमी–भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2015 का आयोजन

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 14 – 28 सितंबर 2015 के दौरान हिंदी पखवाड़ा – 2015 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। 14 सितंबर 2015 को हिंदी पखवाड़े के शुभारंभ पर संस्थान के महानिदेशक श्री मनीष कुमार गुप्ता ने सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थान में पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री बीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा दी गई। इस अवसर पर महानिदेशक द्वारा संस्थान की अर्धवार्षिक पत्रिका 'श्रम संगम' का विमोचन भी किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 44 लोगों ने हिस्सा लिया। निबंध एवं पत्र–लेखन प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण ने प्रथम, श्री एस. के. वर्मा ने द्वितीय एवं श्री ए. के. श्रीवास्तव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में डॉ. एलीना सामंतराय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री दिलीप सासमल और श्री हरीश सिंह, दोनों ने प्रथम, श्री सतीश कुमार ने द्वितीय एवं श्री सत्यवान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सामान्य टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्री ए. के. श्रीवास्तव ने प्रथम, श्री एस. के. वर्मा ने द्वितीय एवं श्रीमती मोनिका गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में डॉ. किंगशुक सरकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सस्वर काव्य पाठ/गीत/गजल प्रतियोगिता में श्री राजेश कुमार कर्ण ने प्रथम, श्रीमती शाश्वती राउत ने द्वितीय एवं श्री सतीश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी टंकण अथवा वर्तनी एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता में श्री हर्ष सिह रावत ने प्रथम, श्री नरेश कुमार ने द्वितीय एवं श्रीमती गीता अरोड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्री हर्ष सिंह रावत ने प्रथम, श्रीमती गीता अरोड़ा ने द्वितीय एवं श्रीमती मोनिका गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। त्वरित भाषण प्रतियोगिता में डॉ. किंगशुक सरकार ने प्रथम, श्री विजय कुमार ने द्वितीय एवं श्री प्रकाश मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

संस्थान द्वारा 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट अंक (ग्रेड ए–1) प्राप्त करने पर कु. आस्था उपाध्याय सुपुत्री डॉ. संजय उपाध्याय एवं श्री आदर्श कुमार यादव सुपुत्र श्री राधेश्याम यादव को हिंदी प्रतिभा पुरस्कार प्रदान किए गए। राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी पुरस्कार दिए गए। ये सभी पुरस्कार 28 सितंबर 2015 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ फेलो डॉ एस. के. शशिकुमार द्वारा प्रदान किए गए।

डॉ. शशिकुमार ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

भारत की अदृश्य महिला कामगार

एलीना सामंतराय जेना*

भारत में लड़कियों की शैक्षिक प्रगति के बावजूद घटती महिला श्रम बल सहभागिता यहाँ के नीति–निर्माताओं के लिए एक गंभीर सरोकार का विषय है। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए राष्ट्रीय रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षणों में दर्ज महिला श्रम बल सहभागिता दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल सहभागिता 2004–05 में 126.49 मिलियन से घटकर 2009–10 में 106.2 मिलियन और पुनः घटकर 2011–12 में 103.6 मिलियन हो गई। शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम बल सहभागिता 2004–05 में 26.50 मिलियन से घटकर 2009–10 में 24.2 मिलियन हो गई। हालांकि श्रमिकों में महिलाओं की घटती संख्या के लिए अनेक तर्क (बढ़ती शिक्षा प्राप्ति, परिवारों की आय में बढ़ोतरी सहित) दिए गए हैं, किंतु इन पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। परंतु यहाँ जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि इस स्थिति से कैसे पार पाया जाए तथा महिलाओं को श्रम बाजार में सहभागिता करने हेतु कैसे प्रोत्साहित किया जाए?

लैंगिक असमानता, जो अर्थव्यवस्था के कतिपय उद्योगों एवं क्षेत्रों में महिलाओं के संकेंद्रण में देखा जा सकता है, के अतिरिक्त अवैतनिक कामगार के तौर पर महिलाओं के योगदान का कम आकलन किया जाना जारी है। महिलाओं द्वारा घरों में किए जाने वाले समस्त कार्यों को आर्थिक गतिविधि के दायरे से बाहर रखा जाता है तथा इन्हें राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दर्ज नहीं किया जाता है। यह काफी चिंताजनक बात है कि शिक्षा, रोजगार एवं आजीविका संरक्षण के संबंध में विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं के बावजूद पिछले वर्षों में भारत में घरेलू कामों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की नवीनतम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2014 में बताया गया है कि आर्थिक सहभागिता एवं अवसर पर वैश्विक रैंकिंग में भारत 134वें स्थान पर है, तथा 142 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप की समग्र रैंकिंग में भारत 114वें स्थान पर है। महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा अवैतनिक कार्य में प्रतिदिन खर्च किए गए औसत मिनटों में सबसे ज्यादा अंतर भारत में (300 मिनटों का अंतर) है।

एनएसएसओ की हाल ही की एक रिपोर्ट *पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ अलॉगविद डोमेस्टिक ड्यूटीज़* (2014) में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि 15–59 के आयु समूह में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कामों में महिलाओं की सहभागिता 2004–05 में 53 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 61.6 प्रतिशत हो गई थी। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत, दोनों चक्रों के लिए 65.3 प्रतिशत पर बना रहा। यह बात महत्त्वपूर्ण थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 30–44 वर्ष के आयु समूह में महिलाओं के लिए यह अनुपात उच्चतम अर्थात लगभग 94 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 95 प्रतिशत था। इस आयु समूह में आम तौर पर छोटे बच्चों, जिन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, वाली महिलाएं होती हैं। महिलाओं द्वारा घरेलू कामों में लगे रहने हेतु दिए गए कारणों में एक प्रमुख कारण यह बताया गया कि *घरेलू काम करने के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं था*। यह कारण ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों तथा सभी आकार के परिवारों द्वारा बताया गया। अन्य कारण *किसी को भाड़े पर रखने में समर्थ नहीं हूँ* तथा *सामाजिक एवं धार्मिक विवशता* बताए गए। ऑर्गनाइजेशन फॉर इकॉनोमिक को–ऑपरेशन एंड डेव्लपमेंट (ओईसीडी) की वर्ष 2012 की नवीनतम रिपोर्ट *क्लोजिंग दि जेंडर गैपः एक्ट नॉउ* में बताया गया है कि 26 ओईसीडी देशों तथा तीन ओईसीडी विस्तार वचनबद्ध देशों (चीन, भारत एवं दक्षिण अफ्रीका) के समय–उपयोग सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि घरेलू कामों में महिलाएं, पुरुषों की तुलना में औसतन दुगुना समय देती हैं।

इसे देखते हुए, क्या हम वास्तव में यह कह सकते हैं कि महिलाओं का घरेलू कामों में लगे रहना एक सामान्य प्रथा है और इस पर कोई प्रश्न–चिह्न नहीं

* *एसोसिएट फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

लगाया जाना चाहिए। वास्तव में, यह मानना महत्वपूर्ण है कि परिवार में लैंगिक संबंध तथा महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्य, अनिवार्य तौर पर सवेतन रोजगार में महिलाओं की सहभागिता से जुड़े हुए हैं। शिशु देखभाल की लगातार माँग, श्रम का घर में असमान वितरण तथा अनुचित समय वितरण पैटर्नों के कारण श्रम बाजार में महिलाओं के लिए सीमित विकल्प रह जाते हैं और इससे वे श्रम बाजार से हटने के लिए प्रोत्साहित होती हैं। यह, उनके द्वारा घरों में काम को स्वीकार करने की उनकी इच्छा व्यक्त करने का एक प्रमुख कारण प्रतीत होता है। परंतु यह न केवल उनकी गतिशीलता को सीमित करता है अपितु उन्हें अनेक लाभदायक रोजगार के अवसरों से वंचित भी करता है। तथापि, महिलाओं के इस अतिरिक्त भार पर फोकस किए बिना उन्हें कौशल विकास पहलों अथवा श्रम बाजार विकल्पों में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करना मुश्किल होगा। समर्थनकारी सेवाओं को बढ़ावा देना, काम पर कौशल प्रशिक्षण देना, छोटे शिशुओं वाली महिलाओं के लिए काम के लचीले विकल्प रखना और महिलाओं की कार्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बैठाते हुए उनकी क्षमताओं को विकसित करना अधिक फायदेमंद होगा। सरकार द्वारा अधिक देखभाल का प्रावधान करने तथा उचित पैतृक अवकाश नीतियों के संवर्धन के साथ घरेलू काम एवं देखभाल के पुनः वितरण करने हेतु नीतियों को बनाये जाने की आवश्यकता है। ऐसी नीतियों से महिलाएं न केवल कार्यबल में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी, अपितु इससे वे अपने कैरिअर में आगे बढ़ने तथा कार्यबल में बने रहने में भी सक्षम होंगी। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों में देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, सांस्कृतिक बाध्यताओं, संस्थागत बाधाओं आदि पर विचार करते हुए कार्यबल से महिलाओं के हटने पर कतिपय अतिरिक्त प्रश्नों के साथ एक लक्षित नीतिगत दृष्टिकोण में श्रम बल सर्वेक्षणों में लिंग को मुख्यधारा में शामिल करना भी होगा, यह देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण सरोकारों की समझ प्रदान करेगा। शुरुआत में, राष्ट्रीय समय–उपयोग सर्वेक्षणों को नियमित अंतराल पर आयोजित करने से नीति–निर्माता, महिलाओं के समय वितरण पैटर्नों को समझने में सक्षम होंगे तथा इससे लिंग के आधार पर होने वाली सुभेद्यता, जिसका सामना महिलाओं को जीवनभर देश के विभिन्न भागों में करना पड़ता है, उजागर होगी।

इंतहा

मोनिका गुप्ता*

आज फिर गम अपनी सीमाएं तोड़ चला है
थोड़ी सी संवरती जिंदगी के तिनके – 2 बिखेर चला है
काश आकर इन बिखरते तिनकों का आशियां बना दे कोई
इस जिंदगी से मुझे उबार ले कोई।

दिल के जख्म अब नासूर बन गए हैं
इन जख्मों को रिसने से बचा ले कोई
इस जिंदगी से मुझे उबार ले कोई।
काश आकर.....

ये गम तपते रेगिस्तान की तरह हैं
इन से आकर मुझे निकाल ले कोई
इस भटकन से मुझे उबार ले कोई।
काश आकर.....

आज दिल चाहता है किसी से कुछ कहें
काश आकर दासता सुन ले कोई
इस जिंदगी से मुझे उबार ले कोई।
काश आकर.....

काश आकर थोड़ी खुशी दे जाता कोई
चाहे उधार ही सही
मेरा ऐसा नसीब कहां कि गम बांट लेता कोई
इस जिंदगी से मुझे उबार ले कोई।
काश आकर.....

अब तो बस यही आखिरी इल्तिजा है कि
मेरे द्वार आकर दस्तक दे जाता कोई।
इस जिंदगी से मुझे उबार ले कोई।
काश आकर.....

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड–I, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में हिंदी का योगदान

राजेश कुमार कर्ण*

भारत एक महान, विशाल, बहुभाषी एवं अनेकता में एकता वाला देश है। इसमें अनेक राज्य हैं। विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाएं हैं– पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, आंध्र प्रदेश की तेलुगू, कर्नाटक की कन्नड़, गुजरात की गुजराती आदि। भारत जैसी बहुभाषिक संस्कृति वाले देश में एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ती ही है जो विभिन्न भाषाओं के बीच सम्पर्क सेतु का काम कर सके, जो व्यापक स्तर पर प्रचलित हो तथा जिसे अधिकांश लोग बोलते एवं समझते हों। देश में फैली हुई अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के बीच यदि भारतीय जीवन की उदात्तता एवं एकात्मकता किसी एक भाषा में दिखाई देती है तो वह हिन्दी ही है। सम्पर्क भाषा होने की वजह से हिंदी राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ आधार है। भारत में जो भाषा सम्पूर्ण राष्ट्र को एक स्नेहसूत्र में बांधती है, वह हिंदी ही है। यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है।

हिन्दी को छोड़कर अन्य भाषाएं क्षेत्रीय नामों से जानी जाती हैं जैसे पंजाबी – पंजाब की भाषा, बंगला – बंगाल की किंतु हिंदी – हिंद की अर्थात हिन्दुस्तान की भाषा है। स्पष्ट है इसमें क्षेत्रीयता/स्थानीयता के बजाय राष्ट्रीयता की खुशबू है। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अपने आरंभ से लेकर आज तक किसी वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की भाषा रही है। हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के हरेक कोने में फैले हुए हैं। ये लोग चाहे हिंदी ठीक तरह न जानते हों, व्याकरण को भूला करते हों, अशुद्ध हिंदी बोलते हों, परंतु बोलते हिंदी ही हैं और उसी में अपने भाव व्यक्त करते हैं एवं दूसरों की बात समझते हैं। हिंदी की यह प्रकृति ही देश की एकता और अखंडता की परिचायक है।

आदिकाल यद्यपि विदेशियों के आक्रमणों एवं देशी राजाओं के परस्पर युद्ध का काल था, उसमें भी देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने एवं अपने वीरों को दायित्व बोध कराने का महान कार्य हिंदी ने किया। मुहम्मद गौरी ने अपने राजकीय कामकाज को हिंदी में भी करने की इज़ाजत दी हुई थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी कामकाज हिंदी में भी होता था। 18वीं सदी में पेशवा, सिंधिया और होलकर जैसे मराठा राजघरानों में भी हिंदी में कामकाज होता था। देशी राजाओं और मुगल शासन काल में हिंदी ने सम्पूर्ण रूप से तो नहीं किंतु आंशिक रूप से सम्पर्क भाषा के रूप में काम किया। हिंदी का विकास 17वीं–18वीं शताब्दी में होना आरंभ हो गया था। धीरे–धीरे यह एक सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हुई और आम जनता की बोलचाल की भाषा बन गई। हमारी परंपराएं, रीति–रिवाज, कथाएँ, लोक–साहित्य, देवी–देवताओं, तीर्थस्थलों आदि के माध्यम से हिंदी ने पूरे देश को एकसूत्र में बाँधने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वह किसी अन्य भाषा के माध्यम से संभव ही नहीं था।

अंग्रेजों के शासनकाल में आजादी की लड़ाई के समय स्वतंत्रता सेनानियों एवं समाज सुधारकों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति का बिगुल फूँकने और दो भिन्न भाषा–भाषियों के बीच सम्पर्क के लिए हिंदी को अपनाया जिससे हिंदी के प्रचार–प्रसार के कार्य में तीव्रता आई। पहले अमीर खुसरो, रहीम, कबीर, रसखान, मलिक मुहम्मद जायसी आदि ने फिर बाद में भारतेन्दु हरिश्चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, रामधारी सिंह 'दिनकर' जैसे महान राष्ट्रकवियों और चिन्तकों ने हिंदी साहित्य एवं उपदेश के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरीतियों को दूर किया जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय जागृति, नवीन आदर्श और भारतीय इतिहास के प्रति अगाध श्रद्धा समाहित थी। राजा राममोहन राय, केशवचंद्र सेन, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर जोर दिया

* *स्टेनो असिस्टेंट ग्रेड II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

था। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित कर दिया था। उन्होंने ठीक ही कहा था, 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल'।

रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता हिमालय में स्पष्ट कहा है कि 'रे रोक युद्धिष्ठिर को न यहां, जाने दे उसको स्वर्ग धीर'। उसके स्थान पर गाण्डीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम को लौटा देने का अनुरोध किया है ताकि देशद्रोहियों और अत्याचारियों से मुकाबला किया जा सके। उपरोक्त कवियों ने हिंदी में अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता का आक्रोश, इच्छा–आकांक्षा, जन–जागरण, ऊर्जा और भारतीय यौवन की उन्माद हुँकार को वास्तविक रूप में रूपायित किया। साहित्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह देशों और उसके निवासियों आदि सभी के मन में किसी कारण पड़ गई दरार को पाट सके। हिंदी साहित्य इस कसौटी पर खरा उतरा है। राष्ट्रीय एकता में हिंदी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

हमारे देश में आजादी की लड़ाई सन 1857 में शुरू हुई जो 1947 तक चली। इस दौरान अंग्रेजी शासन के अत्याचार, शोषण एवं संसाधनों की लूट के विरूद्ध पूरे देश में जो क्रांति की ज्वाला भड़की उसके मूल में हिंदी ही थी। स्वतंत्रता के संघर्ष में जनमानस की भाषा हिन्दी ही थी। हिंदी ने ही हिंदी एवं अहिंदी भाषियों के बीच दायित्व बोध, सहिष्णुता, समन्वयवादिता, कर्मनिष्ठा और देशभक्ति की भावना को प्रखरता से उजागर किया जिसने अंग्रेजी शासन को झकझोर कर रख दिया। आजादी की लड़ाई के समय गांधीजी, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल आदि ने देश के विभिन्न भाषा–भाषियों को हिंदी में अंग्रेजों के विरूद्ध क्रांति का संदेश दिया, उन्हें जागरूक और इकट्ठा किया। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी में नारा दिया– 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा', तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया– 'स्वराज्य हमारा जन्म–सिद्ध अधिकार है' तो दूसरी तरफ राम प्रसाद बिस्मिल ने 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है', श्यामलाल गुप्ता ने 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा', शायर इकबाल ने 'सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा' आदि गीतों एवं कविताओं के माध्यम से स्वदेश प्रेम, नवजागरण एवं राष्ट्रीय एकता का मंत्र फूंका। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी कामकाज की भाषा थी और हम अंग्रेजों के पूरे शासनकाल में विदेशी और देशी भाषाओं के दो पाटों के बीच विभाजित स्थिति में जीने को अभिशप्त थे। दरअसल, भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि व्यक्ति की जीवन शैली का निर्धारक भी है। किसी भाषा को अपनाने का अर्थ है उसकी परंपरा, सोच और संस्कृति को अपनाना। भाषा की पराधीनता उतनी ही अशुभ है जितनी अंग्रेजों की गुलामी थी। महात्मा गांधी ने अकारण ही स्वदेशी आंदोलन शुरू नहीं किया था। वह जानते थे कि जब तक हम अपने देश और उससे जुड़ी चीजों से स्नेह नहीं रखेंगे तब तक सही मायने में स्वाधीन नहीं हो पाएंगे। अहिंदी भाषी होकर भी महात्मा गांधी ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का उपयोग किया और उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण के विरूद्ध सभी धर्म, जाति के लोगों को संगठित किया। गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, हरिजन आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के मूल में हिंदी ही थी। अंततः उपरोक्त प्रयासों से 1947 में हम आजाद हुए और तब से विकास पथ पर अग्रसर हैं। इसमें हिंदी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। हिंदी ने समस्त देश को एक सूत्र में आबद्ध करके नवराष्ट्र के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। भारतवासियों के हृदय में हिंदी के प्रति 1947 के पूर्व अगाध प्रेम था। हिंदी न होती तो शायद हम अभी भी गुलाम ही होते।

चूंकि हिंदी सरल, सुबोध, तार्किक, वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती थी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1947 में आजादी के बाद एवं 1950 में संविधान लागू होने से पूर्व ही संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था की गई कि विभिन्न राज्यों का कामकाज उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में होगा (अनुच्छेद 345) तथा केन्द्रीय सरकार की राजभाषा एवं अंतर्राज्यीय पत्राचार और केन्द्र और राज्यों के बीच होने वाले पत्राचार की भाषा हिंदी होगी (अनुच्छेद 343 तथा 346)। भारतीय संविधान के अनुपालन में विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज

में हिंदी का प्रयोग निरंतर हो रहा है और हिंदी इनके बीच सम्पर्क–सेतु का काम बखूबी कर रही है।

व्यावहारिक दृष्टि से आज चीनी एवं अंग्रेजी के बाद हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है जो सर्वाधिक बोली और समझी जाती है। अन्तर्प्रान्तीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। लोग जाति, धर्म, क्षेत्र से बाहर आकर हिन्दी को अपना रहे हैं। अहिंदी भाषी भी हिंदी सीख रहे हैं। लगभग 43 प्रतिशत भारतीय हिन्दी बोल सकते हैं और इससे ज्यादा लोग इसे समझ सकते हैं। हिंदी देश की सर्वमान्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। व्यापार, जनसंचार तथा राजनीति की दृष्टि से हिंदी ने संपर्क भाषा का दर्जा बखूबी पा लिया है। भारतीय सीमा के बाहर हिंदी का प्रचलन मॉरीशस, गुयाना, सूरीनाम, रूस, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, फिज़ी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों में भी है। औद्योगिकीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों के उत्प्रवास में वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रायः सभी देशों में हिंदी पहुंच रही है। विदेशों में हिंदी समाचार पत्र/पत्रिकाओं का प्रकाशन, रेडियो एवं टीवी चैनलों मे हिंदी में कार्यक्रमों का प्रसारण एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन का कार्य हो रहा है और दिनानुदिन इसमें वृद्धि हो रही है। हिंदी का अध्ययन आज वे लोग भी कर रहे हैं जो हिंदी भाषी या भारतीय मूल के नहीं हैं और इस प्रकार आज हिंदी की एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी विकसित हो रही है।

राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा होने की वजह से हिंदी वाणिज्य और व्यापार–व्यवसाय, तीर्थाटन, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक सेतु का कार्य कर रही है। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एवं अन्यत्र कहीं भी हिंदी के सहारे काम चल सकता है। हिंदी भी अपने को बाजार की मांग – ई कामर्स, इंटरनेट, कम्प्यूटर, वेबसाइट के चलन आदि के अनुरूप ढ़ाल रही है और रोजी–रोटी से जुड़कर भारत ही नहीं अपितु विश्व के उद्योग जगत की एक बड़ी भाषा के रूप में उभर रही है, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा बन रही है अर्थात हिंदी का वैश्वीकरण हो रहा है। नब्बे के दशक में बाजार के खुलने के साथ ही हिंदी का देश–विदेश में व्यापक रूप से प्रचार हुआ है एवं हिंदी की स्वीकार्यता दिनानुदिन बढ़ रही है। हिंदी हमारे चिंतन की और हमारे सपनों की भाषा बनकर हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्वायत्तता के रक्षा की भाषा बनकर हमें ताकत देती है। सभी एक–दूसरे से हिंदी के कारण जुड़ रहे हैं और विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन ने ठीक ही कहा था, ''राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है। हिंदी वह धागा है, जो विभिन्न भाषारूपी फूलों को पिरोकर भारत को सबल राष्ट्र बनाएगा।'' आचार्य विनोबा भावे ने भी हिंदी का गुणगान करते हुए कहा था कि, ''हिंदी के द्वारा ही सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।''

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे आज नहीं तो कल सभी भारतीय अपनायेंगे– हिंदी के स्नेह सूत्र में बंधेंगे। हिंदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय भाषाएं एवं रोजगार की भाषा अंग्रेजी भी आंशिक रूप से संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होगी। हमें भाषा को संकीर्णता की दृष्टि से न देखकर उसे समाज की अभिव्यक्ति मानकर उसका सम्मान करना चाहिए। इससे सभी भाषाओं का सम्मान बढ़ेगा, भाषायी विवाद खत्म होगा और भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। कोई भी क्षेत्रीय या विदेशी भाषा हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संपदा की सुरक्षा के लिए हमें अपनी भाषाओं के साथ एक सम्पर्क भाषा का भी विकास करना होगा। यह भाषा हिंदी ही हो सकती है और हिंदी ने यह काम कर दिखाया है। हिंदी हमारी अपनी भाषा ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहां के लिए कहा जाता है कि 'कोस–कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी' वहां सभी को एक सूत्र में बांधना आसान नहीं है किंतु सभी भारतीय भाषाओं का मिश्रित रूप और संतों, चिंतकों, समाज सुधारकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की वाणी से अलंकृत राजभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाये रखने में सक्षम है क्योंकि हिंदी आपसी सदभावना, प्रेम, श्रद्धा, अहिंसा, करुणा एवं विश्व मैत्री का प्रतीक है। स्पष्ट है, 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना की अलख जगाती हिन्दी उत्तर से दक्षिण तक तथा पश्चिम से पूरब तक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। 'हिन्दी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य।' – मैथिलीशरण गुप्त की यह भावना देश की एकता और अखंडता के लिए सत्य सिद्ध होकर ही रहेगी।

शोषण मुक्त माहौल

बीरेन्द्र सिंह रावत*

शोषण एक अपराध है, व कलंक समाज का।
कई लोगों ने भुगता, श्रम यौन बात का।
श्रम यौन बात का, न मिट पाएगा दंश।
जब तक हम न बदलें, और न बदलेगा अंश।
कहत सभ्य समाजी, न बनने दो तुम दूषण।
सबको समान समझ, रोक पाएंगे शोषण।1।

जब आये ही हम नंगे, क्यों न यह समझ पाते।
हम आये एक समान, पर राग अलग गाते।
पर राग अलग गाते, मानें प्रभु अपना।
धर्म, जाति, काम को, बड़ा मानें हम अपना।
कहत सभ्य समाजी, तुम आप बदलोगे तब।
नियती अपनी पात, यह मान जाओगे जब।2।

गांधी से बोली बहन, देते अहिंसा का ज्ञान।
पर जब तंग किया मुझे, ना रख पाई मान।
ना रख पाई मान, दिया उसको यह जवाब।
दे मारी किताबें, मुश्किल से बचा जनाब।
कहत सभ्य समाजी, देख लड़की की आंधी।
सोच विचार करते, हुए बोले यह गांधी।3।

अपराध है सहना यदि, शोषण है अपराध।
हक के लिए लड़ो मगर, रखना इतना ध्यान।
रखना इतना ध्यान, कि सादा जीवन जीना।
भड़काऊ व्यवहार न हो, न फटकता कमीना।
कहत सभ्य समाजी, गांधी जी की यह बात।
नैतिकता की सोच, रुक जाएंगे अपराध।4।

हम सब जानें कि जग में, सब दाता की देन।
काम बड़ा छोटा नहीं, फिर मुझे क्या लेन।
फिर मुझे क्या लेन, मैं देखूं अपना काम।
बुरे वचन छोड़कर, लूँ सदा राम का नाम।
कहत सभ्य समाजी, होगा न हमें कभी गम।
अगर मन को अपने, सदा साफ रख पायें हम।5।

घर से अधिक समय आप, जहाँ पर गुजारते।
उस पावन जगह को, अपना घर मानते।
अपना घर मानते, व साथी को बहन भाई।
फिर शोषण की बात, न तेरे मन में आई।
कहत सभ्य समाजी, सबका महत्व जानकर।
विकास करेंगे हम, व चमके अपना यह घर।6।

* वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

नारी से भली खूँटे से बंधी गाय

डॉ. पूनम एस़ चौहान*

राजस्थान, राजपूतों की आन–बान शान का राज्य, महाराणा प्रताप की तलवार की गूँज और वीरता की गाथा एवं पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास अपने सीने में छिपाए हुए। रानी पद्मिनी का जौहर भी इसी राज्य की मिट्टी में जीवंत हुआ। अकबर के हृदय पर राज करने वाली रानी जोधाबाई भी इसी राज्य की पुत्री थी। असंख्य सूरमाओं के रक्त से रंगा है राजस्थान। राजस्थान के हर जिले में वीर गाथाओं का अम्बार है। इसी राज्य में अनेकों वीरांगनाओं की कथाएं भी प्रचलित हैं।

जोधपुर राजस्थान का एक जिला है। यह एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहाँ की वस्तुएँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं तथा यह देशी–विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं। ऐसे स्वर्णिम ऐतिहासिक राजस्थान का एक दूसरा पक्ष भी है। विकास के मानदण्ड पर यह काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। यह गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं के अभाव, बेरोजगारी, पानी की कमी, खेती हेतु मूल सुविधाओं की कमी, गाँव से गाँव तथा कस्बे एवं शहर से गाँव को जोडने के लिए सड़कों की कमी, गर्भ में लड़कियों को मारने की प्रथा, बालविवाह, सती प्रथा आदि से ग्रसित है।

इसके अतिरिक्त यहाँ के अधिकांश लोगों में रुढ़िवादिता, जातिवाद, अंधविश्वास एवं छुआछूत कूट–कूट कर भरा है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर फरवरी 1995 में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा जोधपुर जिले के ओसिया ब्लॉक में द्वाकरा (डेव्लपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया) महिला सदस्याओं हेतु एक ग्रामीण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल चालीस महिलाओं ने भाग लिया। इनमें से अधिकांश महिलाएं अशिक्षित थीं। कुछ आत्म–विश्वास से भरी थीं, तो कुछ संकोच और शर्म से दबी हुई थीं। सहमी डरी कुछ महिलाएँ, लज्जा से भरी हुई आँखों से हमें चुपके–चुपके देख रही थीं। जैसे ही हमारी दृष्टि उनके चेहरों पर पड़ती, वे झट अपनी पलकें झुका लेतीं। बहुत सी महिलाएँ असमंजस में थीं। उन्हें उत्सकुता थी कि शिविर में क्या होने वाला है? यह जानने के लिए उन सभी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। परिचय की प्रक्रिया के बाद महिलाओं के संकोच में कुछ कमी आयी। संवाद का सिलसिला शुरु हुआ। इन महिलाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने का क्रम प्रारम्भ होते ही ज्ञात हुआ कि अधिकांश प्रतिभागी निर्धन परिवारों से थीं। उनके पति विभिन्न पत्थर खदानों में दैनिक मज़दूरी करते थे। कुछ पत्थर ढोने का काम और कुछ अन्य विभिन्न असंगठित उद्योग में दिहाड़ी मज़दूरी करते थे। लगभग सभी महिलाएँ अनुसूचित जाति की थीं। उनमें से एक महिला का नाम लक्ष्मी था। वह ऊपर से नीचे तक चाँदी एवं लाख के गहनों से लदी थी। माथे पर बोड़ला (मांग–टीका), नाक में नथ, कानों में कई छेद, जिसमें छोटे बड़े कुंडल लटक रहे थे। कमर में कमरबंद, पैरों में पायल तथा हाथों में ऊपर से नीचे तक श्वेत कड़े। ज्यादातर आभूषण कृत्रिम थे। लहंगा–चोली एवं ओढ़ना उसका पहनावा था। लक्ष्मी जब भी बात करती, अपनी ओढ़नी को खींच कर दाँतों में दबा लेती थी। बहुत शर्मीली थी लक्ष्मी, परन्तु धीरे–धीरे खुलने लगी। हमारे समीप आकर बात करने लगी। लक्ष्मी ने हमें बताया कि कुछ वर्षों पूर्व उसका विवाह हुआ था। वह दो बच्चों की माँ थी। उसका पति खदानों में से निकाले गये पत्थरों को ट्रैक्टर–ट्रॉली में ढोने–उतारने का काम करता था। उनकी माली हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। अधिकतर उनका भोजन, बाजरे की रोटी, हरी मिर्च एवं प्याज होता था। कभी–कभी दाल या सब्जी का जुगाड़ हो जाता था। नित्य एक पाव दूध का खर्चा था। उसी में लक्ष्मी, उसका पति एवं बच्चे गुजर करते थे। कभी–कभी बच्चों को दूध पिलाने हेतु माँ–बाप स्वयं भोजन नहीं करते थे।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

इसी कारण लक्ष्मी 'द्वाकरा स्कीम' में सदस्य बनी। प्रशासन की उदासीनता, भेदभाव की प्रवृति एवं धनराशि के दुरुपयोग के उपरान्त भी लड़–झगड़ कर कुछ लाभ लक्ष्मी एवं उसकी अन्य ग्रुप सदस्य प्राप्त कर लेती थीं। पूरा लाभ कभी नहीं मिलता था। लक्ष्मी ने बताया कि केवल परिवार के लोग ही महिलाओं को नहीं दबाते, वरन् समाज में ग्राम प्रशासन के लोग भी उन्हें अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते थे। यौन उत्पीड़न भी इसमें शामिल था।

लक्ष्मी ने कहा, ''पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का स्थान नगण्य है। उसे इंसान नहीं समझा जाता, वरन् काम एवं बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। हम कोई 'चीज़' नही हैं, पुरुष की सम्पत्ति नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमें 'मनुष्य की श्रेणी' में न रखना समाज की कुटिल चाल है।''

ग्रामीण समाज में महिलाएँ काफी पिछड़ी हुई हैं। हर क्षेत्र में उनका स्थान पुरुष की अपेक्षा नीचा है। सूरज की किरणें उगने से चन्द्रमा की चाँदनी गहराने तक महिलाएँ किसी न किसी घरेलू काम में जुटी रहती हैं। घर का अभिन्न अंग होने पर भी वे घर–खेत खलिहान के स्वामित्व से वंचित रहती हैं। उपेक्षा सहना उनकी नियति बन चुकी है। राजस्थान में तो युवा ग्रामीण महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी असम्भव सा है। उनके घरों में महिलाओं के आवास क्षेत्र में खिड़कियों का भी अभाव है जबकि पुरुषों की बैठक आदि हवादार कमरों में होती है। लक्ष्मी की व्यथा भी अन्य महिलाओं से अलग नहीं थी।

शिविर के दौरान एक दिन संध्या के समय लक्ष्मी बहुत गम्भीरता से बोली– *"दीदी, विवाह के समय तो बहू को गाजे–बाजे, हाथी–घोड़े के साथ लाया जाता है किन्तु शादी के बाद उसकी दशा दासी के समान हो जाती है। उसका स्तर गाय से भी बदतर हो जाता है। यदि गाय को दूध दुहना पसंद न आए तो वह दुलत्ती मार देती है। परन्तु एक महिला कितनी भी त्रस्त हो, लात मारना तो दूर, कुछ कह भी नही सकती''*।

लक्ष्मी की यह बात हृदय में तीर सी चुभ गई। कितना कटु सत्य है। महिला की स्थिति पशु से भी बदतर है। अधिकार विहीन, चुप्पी साधे, मन–शरीर पर घात सहती, अपमान का घूँट पीती, सहनशील वह नारी गाय से भी गई बीती है। स्त्री का 'वस्तुकरण' कब थमेगा?

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), नौएडा के तत्त्वावधान में सोमवार, 21 दिसम्बर 2015 को नराकास, नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरु करने से पहले संस्थान की ओर से डॉ. एस. के. शशिकुमार, वरिष्ठ फेलो ने सभी प्रतियोगियों का स्वागत करते हुए उन्हें संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में सफलता के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर नराकास, नौएडा के सदस्य सचिव श्री अजय कुमार, एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर क्षेत्र), गाजियाबाद से प्रभारी उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री के. पी. शर्मा भी उपस्थित थे।

श्री अजय कुमार ने नराकास, नौएडा की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए प्रतियोगियों से अधिकाधिक काम हिंदी में करने का आग्रह किया। श्री के. पी. शर्मा ने राजभाषा नीति और हिंदी के प्रयोग की संवैधानिकता की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से हिंदी के उत्तरोत्तर विकास की

रूपरेखा प्रतियोगियों के सामने रखी। हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित तीन विषय रखे गए थे।

1. आरक्षणः कितना उचित, कितना अनुचित
2. मीडिया का प्रभाव
3. संपर्क भाषा और राष्ट्रीय एकता

इस प्रतियोगिता में नराकास, नौएडा के 26 सदस्य कार्यालयों से 50 प्रतियोगियों ने भाग लिया। श्री बीरेन्द्र सिह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने सभी प्रतियोगियों को बताया कि वे किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं। अंत में मंचासीन अतिथियों की आज्ञा से प्रतियोगिता शुरु की गयी।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में प्रांतीय भाषाओं को हानि नहीं वरन् लाभ होगा।

– अनंतशयनम् आयंगार

हिन्दी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है।

– मैथिलीशरण गुप्त

जीने की राह

बीरेंद्र सिंह रावत*

eu d gkj gkj g]
eu d thr thrA
djrk py i#"kkFk r]
dkg g Hk;HkhrA

एवरेस्ट फतह करने वाली पहली विकलांग महिला पद्मश्री *v#f.kek fl Ugk* की कहानी इस कहावत को चरितार्थ करती है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले के शहजादपुर इलाके में एक मुहल्ला है पंडाटोला। वहाँ के एक छोटे से मकान में रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा वर्ष 2011 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में साक्षात्कार देने हेतु पद्मावत एक्सप्रेस से लखनऊ से नई दिल्ली जा रही थी। बरेली के पास कुछ बदमाशों ने उनके डिब्बे में धावा बोल दिया और लूटपाट करने लगे। बदमाश चेन छीनने के लिए उनकी ओर लपके तो उन्होंने इसका विरोध किया। इस धक्का–मुक्की में बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। पैर कटने के साथ ही उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अचानक मिले इस शारीरिक एवं मानसिक आघात ने अरुणिमा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। पर अपने जीवन पर आए इस भीषण संकट में भी अरुणिमा ने हार नहीं मानी। चार महीने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज कराने के बाद अरुणिमा ने एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मुलाकात कर उनसे पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 31 मार्च 2013 को उनका मिशन एवरेस्ट शुरु हुआ। 52 दिनों की चढ़ाई के बाद 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर वह एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। वहाँ पर उन्होंने कपड़े के एक टुकड़े पर एक छोटा–सा संदेश लिखा और उसे बर्फ के अंदर रख दिया। इसके बारे में उनका कहना था कि ''शंकर भगवान एवं स्वामी विवेकानंद जीवनभर मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तथा यह उन्हें मेरी श्रद्धांजलि है।''

एवरेस्ट फतह करने के बाद उन्होंने युवाओं एवं जीवन में किसी प्रकार के अभाव के चलते निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा एवं उत्साह जगाने के लिए दुनिया के सभी सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का लक्ष्य तय किया। मिशन 7 समिट के तहत अब तक वह 11 मई 2014 को अफ्रीका की किलिमंजारो (तंजानिया – 5,895 मीटर), 25 जुलाई 2014 को यूरोप की अल्ब्रूज (रूस – 5,642 मीटर), 20 अप्रैल 2015 को आस्ट्रेलिया की कोसिजको (न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया – 2,218 मीटर) तथा 25 दिसम्बर 2015 को दक्षिण अमेरिका की अकोनकागुआ (अर्जेंटीना – 6962 मीटर) पर तिरंगा फहरा चुकी हैं। कृत्रिम पैर के सहारे ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई हैं। उनके अनुसार बाकी की दो चोटियों पर भी वह जल्दी ही तिरंगा फहराएंगी। अरुणिमा का कहना है कि विकलांगता व्यक्ति की सोच में होती है। हर किसी के जीवन में पहाड़ से ऊंची कठिनाइयां आती हैं, जिस दिन वह अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना शुरु करेगा हर ऊंचाई बौनी हो जाएगी। उन्होंने अपने जीवन पर एक पुस्तक ''बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन'' लिखी है, जिसका लोकार्पण 12 दिसम्बर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। उनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अरुणिमा सिन्हा को देश के 66वें गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया।

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

11 – 12 अप्रैल 2011 की रात को भयंकर शारीरिक एवं मानसिक आघात मिलने से लेकर एवरेस्ट फतह तक की अरुणिमा सिन्हा की कहानी, उन्हीं की जुबानी *(साभार – दैनिक हिंदुस्तान):*

उस दिन मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। मैं जनरल कंपार्टमेंट में थी। ट्रेन में अच्छी–खासी भीड़ थी और यह बरेली से गुजर रही थी। अचानक कुछ बदमाशों ने डिब्बे में धावा बोल दिया। वे यात्रियों से लूटपाट करने लगे। सब चुपचाप उन्हें अपनी चेन, घड़ी और पैसे दे रहे थे, कोई उनका विरोध नहीं कर रहा था। तभी बदमाश मेरी ओर लपके। उन्होंने मेरी चेन खींचने की कोशिश की। मेरे अंदर का खिलाड़ी जाग गया। आखिर मैं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियन थी। मैंने उनका कड़ा विरोध किया। छीना–झपटी के बीच बदमाशों ने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया। जिस समय उन्होंने मुझे ट्रेन से बाहर धकेला, ठीक उसी समय सामने वाले ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही थी। मैं हवा में दूसरी ट्रेन से टकराने के बाद पटरियों पर गिर गई। यह वाकया 12 अप्रैल 2011 का है।

यह सब बस कुछ मिनटों में हो गया। दोनों ट्रेनें गुजर गयीं। मैंने अपने हाथों के बल ऊपर उठने की कोशिश की तो महसूस हुआ कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। मेरा एक पैर बुरी तरह कट गया था और दूसरे की हड्डियाँ बाहर निकली हुई थीं। मैं चीखती रही, लेंकिन कोई मदद को नहीं आया। एक के बाद एक ट्रेनें गुजरती रहीं और मैं ट्रैक पर पड़ी रही। मेरे दोनों ही पैर शिथिल पड़ चुके थे और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं घिसटकर किनारे आ पाती। इस बीच कुछ चूहे आकर मेरे घायल पैर को कुतरने लगे थे। कुछ देर बाद मुझे दिखना बंद हो गया, मगर ट्रेनों की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरी रात यूँ ही बीत गई। सुबह कुछ गाँव वालों ने मुझे देखा और पास के जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

जिला अस्पताल में सुविधाओं की भारी कमी थी। मैं काफी देर बेड पर पड़ी रही, लेकिन इलाज शुरु नहीं हो सका। डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे। उनके पास ब्लड नहीं था। उनके पास बेहोश करने वाली दवा भी नहीं थी। उनकी बातें सुनकर मैंने उनसे कहा, मैं अपने कटे पैर के साथ जब रात भर ट्रैक पर पड़ी रही, तो अब मुझे ऑपरेशन के लिए बेहोश करने की क्या जरूरत है? इस तरह, मुझे बेहोश किए बिना ऑपरेशन कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ।

इस बीच जब लोगों को पता चला कि मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, तो मुझे लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल भेजा गया। इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री के आदेश पर मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। मैं करीब चार महीने एम्स में रही। डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे, घर वाले मुझे हौसला दे रहे थे और मैं गुमसुम थी। मन में एक ख्याल था, जो लगातार कचोट रहा था, अब मैं कभी नहीं खेल पाऊँगी। वॉलीबॉल तो मेरा जीवन था, अब इसके बिना ही मुझे जीना पड़ेगा। बैसाखी या व्हीलचेयर के सहारे जीना कितना मुश्किल होगा। यह दर्द मेरे अंदर निराशा के भाव पैदा कर रहा था। इस बीच कुछ लोगों ने मेरे बारे में कुछ अफवाहें उड़ानी शुरु कर दीं। मैं एम्स में भर्ती थी, तभी मुझे अखबारों में यह पढ़ने को मिला कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, इसलिए वह चलती ट्रेन से कूद गई थी। किसी ने लिखा कि अरुणिमा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यह सब पढ़कर मैं रो पड़ी।

जिन्हें मेरी हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी, वे मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। हमारी सफाई कोई नहीं सुन रहा था। मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार की लड़की हूँ। हमारी कौन सुनता? तभी अस्पताल के बेड पर लेटे–लेटे मैंने सोचा कि अगर अब मैं वॉलीबॉल नहीं खेल सकती, तो फिर क्या कर सकती हूँ। मैंने तय किया कि ठीक होने के बाद पर्वतारोहण करूँगी। मैं दुनिया की सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट पर चढ़कर दिखाऊँगी। अब मेरे सामने ट्रेनिंग और स्पॉन्सर खोजने की चुनौती थी। जब यह बात मैंने लोगों को बताई, तो सबने मेरा मजाक बनाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे एक पैर में रॉड पड़ी है, दूसरा कट गया है। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और तुम एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कर रही हो। पर मैं अडिग थी। लोगों के आरोपों और तानों ने मेरे हौसले को मजबूत कर दिया था। प्रेरणा के लिए किसी किताब या किसी के सुझाव की जरूरत नहीं होती। अगर आप मन में तय कर लें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता।

बाहर के लोग भले ही मेरा मजाक बना रहे थे, पर परिवार को मेरे सपने पर यकीन था। मेरे बड़े भाई ने सलाह दी कि हमें एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मिलना चाहिए। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद मैं भाई के साथ सीधे बछेंद्री जी से मिलने चल पड़ी। उस समय मेरे पैरों में टांके लगे थे। मेरी हालत देखकर बछेंद्री जी की आंखों में आंसू आ गए। बातचीत के बाद उन्होंने कहा – हाँ, तुम यह कर सकती हो। उनका यह कहना मेरे लिए काफी था। कुछ दिनों बाद मेरी ट्रेनिंग शुरु हुई। पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। शुरुआती दौर में मेरे पैर से खून निकलने लगता था, मैं बहुत धीरे चल पाती थी। साथी मुझे संभलकर चलने की सलाह देते थे। पर मैं डटी रही। फिर एवरेस्ट अभियान शुरु हुआ। जब शेरपा को यह पता चला कि मेरा एक पैर कृत्रिम है, तो उसने मुझे ले जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह एक विकलांग लड़की के साथ जोखिम लेने को तैयार नहीं है। बहुत समझाने पर ही वह माने। तीसरे कैंप के बाद तो चढाई बहुत कठिन हो गई। कृत्रिम पैर साथ नहीं दे रहा था। बर्फ पर चलना कठिन हो रहा था। शेरपा ने पीछे लौट जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं मानी। चौथे कैंप के बाद कई पर्वतारोहियों के शव देखे, तो दिल दहल उठा। शेरपा की चेतावनी याद आने लगी। कुछ पल ठहरने के बाद मैं आगे बढ़ गई। जब मैं लक्ष्य से थोड़ी दूरी पर थी, तो शेरपा ने टोका, 'अरुणिमा तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लौट जाओ।' मुझे माँ की बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब लक्ष्य करीब हो, तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैं आगे बढ़ती गई और कुछ देर के बाद एवरेस्ट की चोटी पर थी। तारीख थी 21 मई 2013। उस समय मन किया कि चीख–चीखकर कहूँ: देखो, मैं सबसे ऊपर पहुंच गई हूँ। कुछ लोग किस्मत की बात करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि किस्मत भी उनका साथ देती है, जो जीत का हौसला रखते हैं। अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे।

मैं हिंदी हूँ

दिनेश प्रसाद ध्यानी*

मैं हिंदी
साहित्य जगत के माथे की बिंदी हूँ
मैं हिंदी हूँ।

कहते हैं मुझे देश का गौरव
भविष्य की आशा, हर दिल की धड़कन
लेकिन फिर भी न जाने क्यों
कहीं–कहीं मैं उपेक्षित रहती हूँ
मैं हिंदी हूँ।

मुझे कबीर ने अपनाया, मीरा ने गाया
प्रेमचंद और तुलसी ने मेरा मान बढ़ाया
माँ शारदे की वीणा की धड़कन हूँ
मैं वीणा का वंदन, कविता का गुंजन हूँ
मैं हिंदी हूँ।

राज–काज की भाषा, कब होगी पूरी अभिलाषा
पढ़ने पढ़ाने में सहज, साहित्य का असीम सागर
समेटे बागेश्वरी के माथे पर वरदहस्त हूँ
सबके साथ बढ़ती अल्हड़ मदमस्त हूँ
मैं हिंदी हूँ।

संस्कृत की लाडली, संस्कृति की पहचान
सभी भाषाओं को मैं बहनों सम देती मान
माटी की मिठास लिए, मैं हिंद की बेटी हूँ
मैं हिंदी, अपने में असीम बैभव समेटे हूँ
मैं हिंदी हूँ।

अंग्रेजी से भी मुझे बैर नहीं
भारतीय अन्य भाषाएं मेरे लिए गैर नहीं
सुंदर हूँ और सबको साथ लिए बढ़ती
साहित्य के नित नये कीर्तिमान गढ़ती
मैं हिंदी हूँ।

सब भाषाओं को अपने में समाहित करती
सबके लिए समभाव मैं रखती
इसीलिए आज तक मैं जिंदी हूँ
मैं माँ भारती के माथे की बिंदी हूँ
मैं हिंदी हूँ।

* *वरिष्ठ लिपिक, राज्य सभा सचिवालय*

भारतीय
श्रम पुस्तिका

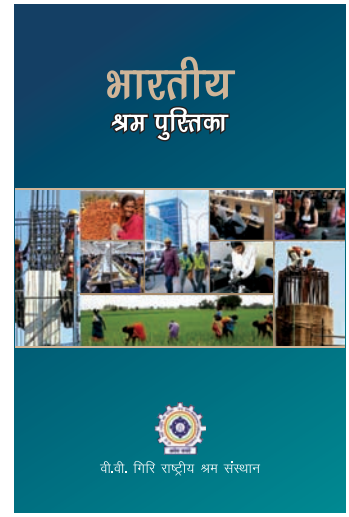

भारत विकास प्रक्रिया के एक बहुत महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। विगत कुछ वर्षों से हमारा देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास के इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, सभी के लिए गुणवत्ता वाला रोज़गार और श्रम मुद्दों का हल सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह पहलू जनता की आजीविका से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है।

श्रम के संबंध में देश अनेक और विविध प्रश्नों का सामना कर रहा है, जिनका विस्तार रोज़गार और अल्प–रोज़गार के बारे में सरोकारों से लेकर बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा तक है। भारतीय श्रम मुद्दों की व्यापकता और विस्तार पर विचार करते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि इन मुद्दों का हल खोजने की प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में सामाजिक साझेदारों तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल किया जाए। हितधारकों की रचनात्मक सहभागिता तभी संभव है, जब कि श्रम से संबंधित सूचना और विचारों को सुलभ बनाया जाए।

इस परिप्रेक्ष्य में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें भारत में श्रम के परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसका आशय यह है कि सुसंगत सूचनाएं एक सरल और बोधगम्य तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इन्हें समाज के व्यापक तबके तक पहुंचयोग्य बनाया जा सके। इस पुस्तिका का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ, साफ–सुथरा एवं गरिमामय बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती।

आईये, जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनाने हेतु मिलकर काम करें।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
नौएडा

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.org